

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-329

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

एकीकृत विद्युत विकास योजना

*329. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के मिश्रित संसदीय क्षेत्र में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस)/दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योतियोजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संसदीय क्षेत्र में आज की तारीख तक अद्यतन स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान आज की स्थिति के अनुसार उक्त प्रयोजनार्थ आबंटित/उपयोग की गई केंद्रीय धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

“एकीकृत विद्युत विकास योजना” के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 329 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) दिसंबर, 2014 में शुरू की थी, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण; शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग; आईटी सक्षमीकरण कार्य; उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी); स्मार्ट मीटरिंग; गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन (जीआईएस); और, रीयल टाइम डाटा अधिग्रहण प्रणाली (आरटी-डीएस) जैसी विभिन्न वितरण अवसंरचना परियोजनाएं निष्पादित की जाती हैं। पूर्ववर्ती पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) स्कीम को, एक अलग घटक के रूप में आईपीडीएस में समाहित किया गया था। राज्य स्तरीय वितरण सुधार समिति की अनुशंसाओं के साथ यूटिलिटियों द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) के आधार पर निगरानी समिति द्वारा आईपीडीएस के अंतर्गत कार्यों को सर्किल-वार संस्वीकृत किया गया था। मिश्रित संसदीय क्षेत्र के लिए संस्वीकृत कार्यों में विद्युत वितरण सर्किल (ईडीसी)-हरदोई, ईडीसी-सीतापुर तथा ईडीसी-कानपुर शामिल हैं।

भारत सरकार ने कृषि तथा गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण तथा संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग और देश भर के गांवों के विद्युतीकरण सहित विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) भी शुरू की थी।

आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई, दोनों स्कीमों के अंतर्गत कार्य पूर्ण हो चुके हैं और दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, ये स्कीमें समाप्त हो गई हैं। आईपीडीएस (समाहित आर-एपीडीआरपी) और डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त इन्फ्रा सहित) के अंतर्गत, हरदोई, सीतापुर और कानपुर

नगर जिलों के क्षेत्रों को शामिल करते हुए मिश्रित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कार्यों के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं।

(ग) : आईपीडीएस और डीडीयूजीजेवाई स्कीमों के अंतर्गत किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निधियों का कोई अग्रिम आवंटन नहीं किया गया था। पिछली किस्तों में जारी की गई निधियों के सूचित किए गए उपयोग तथा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर, किस्तों में, संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की गई थीं। आईपीडीएस (समाहित आर-एपीडीआरपी) और डीडीयूजीजेवाई स्कीमों के अंतर्गत संवितरित निधियों के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

अनुबंध-1

“एकीकृत विद्युत विकास योजना” के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 329 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित अनुबंध।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत हरदोई, सीतापुर और कानपुर नगर जिलों को शामिल करते हुए मिश्रित संसदीय क्षेत्र में किए गए कार्यों के ब्यौरे

क्रम सं.	जिला	सब-स्टेशन		वितरण ट्रांसफार्मर	लाइनें (सीकेएम)				मीटरिंग (सं.)		
		नए	संवर्धित		लो टेंशन (एलटी)	11 केवी	33/66 केवी	फीडर पृथक्करण 11 केवी (सीकेएम)	उपभोक्ता	वितरण ट्रांसफार्मर	फीडर
		सं.			लाइनें (सीकेएम)				सं.		
1	हरदोई	2	15	7012	4148.95	3417.04	149.6	0	5548	0	26
2	कानपुर नगर	9	8	2642	1474.14	394.79	103.4	313	18080	0	0
3	सीतापुर	6	21	5432	4517.01	2909.28	93	0	4000	219	7
कुल		17	44	15086	10140.1	6721.11	345.95	313	27628	219	33

*वर्ष 2014 से अवार्ड की गई परियोजनाएं।

मिश्रित निर्वाचन क्षेत्र में आईपीडीएस (उप-पारेषण एवं वितरण) कार्यान्वयन

• वास्तविक प्रगति

डिस्कॉमों द्वारा इन सर्किलों में वास्तविक कार्यों को पूर्ण किया गया घोषित किया गया था, जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

निर्वाचन क्षेत्र	सर्किल का नाम	डिस्कॉम द्वारा वास्तविकतापूर्वक पूरा करने की तिथि
मिश्रित	ईडीसी हरदोई	मार्च, 2019
	ईडीसी सीतापुर	मार्च, 2019
	ईडीसी कानपुर	मार्च, 2019

मिश्रित संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत सृजित प्रमुख अवसंरचनाएं इस प्रकार हैं:

निर्वाचन क्षेत्र	सर्किल का नाम	समापन तिथि के अनुसार कार्यों का विवरण
मिश्रित	ईडीसी हरदोई	क) नया 33/11 केवी सबस्टेशन: 04 ख) अतिरिक्त ट्रांसफार्मर एवं क्षमता अभिवृद्धि: 05 ग) हाई टेंशन (एचटी) लाइन: 147 कि.मी घ) लो टेंशन (एलटी) लाइन: 20 कि.मी ङ) एरियल बंच्ड (एबी)/भूमिगत (यूजी) केबल: 188 कि.मी च) नये वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी): 66 छ) सौर पैनल: 4 केडब्ल्यूपी

ईडीसी सीतापुर	क) नया 33/11 केवी सबस्टेशन: 06 ख) अतिरिक्त ट्रांसफार्मर एवं क्षमता अभिवृद्धि: 07 ग) हाई टेंशन (एचटी) लाइन: 137 कि.मी घ) लो टेंशन (एलटी) लाइन: 31 कि.मी ङ) एरियल बंड (एबी)/भूमिगत (यूजी) केबल: 253 कि.मी च) नये वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी): 97 छ) सौर पैनल: 6 केडब्ल्यूपी
ईडीसी कानपुर	क) नया 33/11 केवी सबस्टेशन: 01 ख) अतिरिक्त ट्रांसफार्मर एवं क्षमता अभिवृद्धि: 01 ग) हाई टेंशन (एचटी) लाइन: 87 कि.मी घ) लो टेंशन (एलटी) लाइन: 106 कि.मी ङ) एरियल बंड (एबी)/भूमिगत (यूजी) केबल: 104 कि.मी च) नये वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी): 182 छ) सौर पैनल: 205 केडब्ल्यूपी

अनुबंध-II

“एकीकृत विद्युत विकास योजना” के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 329 के भाग (ग) के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित अनुबंध।

आईपीडीएस के अंतर्गत संस्वीकृत/संवितरित निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारत सरकार द्वारा संवितरित अनुदान		
		2019-2020	2020-2021	2021-2022
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	2	7
2	आंध्र प्रदेश	29	101	31
3	अरुणाचल प्रदेश	15	56	26
4	असम	273	75	59
5	बिहार	624	315	311
6	छत्तीसगढ़	23	169	60
7	दिल्ली	-	57	18
8	गोवा	11	13	17
9	गुजरात	112	84	-
10	हरियाणा	42	72	18
11	हिमाचल प्रदेश	60	18	39
12	जम्मू और कश्मीर/लद्दाख	58	228	17
13	झारखंड	-	75	88
14	कर्नाटक	49	91	110
15	केरल	19	225	45
16	महाराष्ट्र	740	110	116
17	मणिपुर	-	-	-
18	मेघालय	1	29	11
19	मिजोरम	5	5	57
20	मध्य प्रदेश	364	202	79
21	नागालैंड	74	-	16
22	ओडिशा	128	22	60
23	पुदुचेरी	-	5	-
24	पंजाब	120	42	22
25	राजस्थान	417	96	98
26	सिक्किम	15	-	67
27	तमिलनाडु	596	27	118
28	तेलंगाना	11	56	52
29	त्रिपुरा	24	85	10
30	उत्तर प्रदेश	111	303	274
31	उत्तराखंड	73	224	75
32	पश्चिम बंगाल	607	422	81
	कुल	4,600	3,210	1,981

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत संस्वीकृत/संवितरित निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारत सरकार द्वारा संवितरित ऋण		
		वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22
1	आंध्र प्रदेश	-	23	5
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	2
3	असम	45	11	1
4	बिहार	65	34	-
5	छत्तीसगढ़	42	9	1
6	गोवा	1	-	-
7	गुजरात	0	6	5
8	हरयाणा	3	69	-
9	हिमाचल प्रदेश	28	-	-
10	जम्मू और कश्मीर/लद्दाख	25	40	118
11	झारखंड	17	11	66
12	कर्नाटक	1	-	-
13	केरल	33	2	4
14	महाराष्ट्र	76	-	9
15	मणिपुर	31	1	1
16	मेघालय	7	10	1
17	मिजोरम	-	3	-
18	मध्य प्रदेश	36	3	-
19	नागालैंड	3	-	-
20	ओडिशा	-	-	34
21	पुदुचेरी	3	1	3
22	पंजाब	79	32	3
23	राजस्थान	82	1	3
24	सिक्किम	-	-	-
25	तमिलनाडु	239	11	-
26	तेलंगाना	-	10	3
27	त्रिपुरा	-	-	4
28	उत्तर प्रदेश	35	10	123
29	उत्तराखंड	12	6	-
30	पश्चिम बंगाल	13	7	-
कुल जोड़		877	300	385

डीडीयूजीजेवाई (आरई और अतिरिक्त इफ्रा सहित) के अंतर्गत संस्वीकृत/संवितरित निधियों के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरे

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22
1	आंध्र प्रदेश	8	8	85
2	अरुणाचल प्रदेश	37	32	74
3	असम	661	416	339
4	बिहार	682	830	1,236
5	छत्तीसगढ़	58	54	153
6	गुजरात	-	13	51
7	हरियाणा	50	5	54
8	हिमाचल प्रदेश	40	37	11
9	जम्मू और कश्मीर	65	35	29
10	झारखंड	610	355	281
11	कर्नाटक	283	13	109
12	केरल	8	-	54
13	लद्दाख	24	-	34
14	मध्य प्रदेश	375	278	762
15	महाराष्ट्र	225	158	162
16	मणिपुर	46	50	24
17	मेघालय	165	61	15
18	मिजोरम	16	5	24
19	नागालैंड	24	11	8
20	ओडिशा	330	122	395
21	पंजाब	115	16	35
22	राजस्थान	273	116	408
23	सिक्किम	9	28	16
24	तमिलनाडु	56	-	100
25	तेलंगाना	74	-	64
26	त्रिपुरा	47	48	74
27	उत्तर प्रदेश	946	1,661	1,095
28	उत्तराखंड	269	5	3
29	पश्चिम बंगाल	261	149	509
30	गोवा	7	-	2
31	दादरा एवं नागर हवेली	-	-	2
32	पुदुचेरी	5	3	1
33	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	2	3
	कुल	5,767	4,511	6,212

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-337

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति

*337. श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे/किए जाने वाले प्रस्तावित प्रयासों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही/चलाई जाने के लिए प्रस्तावित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त और निरंतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए कोई नई नीति प्रस्तावित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) आकांक्षी जिलों में बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे/किए जाने हेतु प्रस्तावित प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

“ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति” के बारे में लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 337 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : भारत सरकार सभी घरों को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था करने के उद्देश्य से राज्यों की सहायता करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस), उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय), सौभाग्य, आरडीएसएस आदि जैसी अपनी अनेकों स्कीमों के माध्यम से राज्यों की सहायता करती है।

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों (यूटीज़) ने दिनांक 01 अप्रैल, 2019 के बाद से 24X7 विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। कई राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र नियोजित कठौतियों तथा अप्रत्याशित घटनाओं के कारण व्यवधानों के अलावा 24X7 विद्युत की आपूर्ति का दावा करते हैं।

सौभाग्य के तत्वावधान में, कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

हाल ही में, भारत सरकार ने 3,03,758 करोड़ रुपए के परिव्यय और केंद्र सरकार से 97,631 करोड़ रुपए के अनुमानित जीबीएस के साथ, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की है। यह स्कीम ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी तथा सुदूर क्षेत्रों सहित देश भर की आपूर्ति अवसंरचना के सुदृढीकरण के लिए वित्तीय रूप से स्थिर तथा प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में सुधार करने के लक्ष्य से तैयार की गई है।

नए घरों का निर्माण करना एक सतत प्रक्रिया है और वितरण यूटिलिटियों द्वारा ऐसे घरों के विद्युतीकरण का ध्यान रखा जाना है। भारत सरकार सौभाग्य के शुभारम्भ के समय विद्यमान किन्हीं शेष घरों को विद्युतीकृत करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने हेतु प्रतिबद्ध है। इस

संबंध में, राज्य आरडीएसएस के अंतर्गत अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार शेष घरों के विद्युतीकरण के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ग) : आरडीएसएस के अंतर्गत उन शेष कृषि फीडरों के पृथक्करण की परिकल्पना की गई है जिनका कृषि लोड 30% से अधिक है। इस स्कीम के अंतर्गत, राज्यों को कृषि फीडर को मिश्रित फीडरों से पृथक् करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे कृषि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराई जाती है और उचित ऊर्जा लेखांकन में सुविधा होती है। आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृतियां जारी करते समय, कुसुम के साथ संमिलन की परिकल्पना भी की गई है। अभी तक, कृषि फीडरों के पृथक्करण हेतु 29,945.29 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए गए हैं।

(घ) : अभी तक, आरडीएसएस के अंतर्गत, 75,884 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) सहित 1,19,134 करोड़ रुपए की राशि की डीपीआर संस्वीकृत की गई हैं। कुल संस्वीकृति में से, राज्य/डिस्कॉमों के प्रस्ताव के अनुसार, एचवीडीएस, केबलिंग, फीडर पृथक्करण आदि जैसे कार्यों के लिए सभी राज्यों (ओडिशा, कर्नाटक तथा तेलंगाना को छोड़कर) के आकांक्षी जिलों के लिए 14,509 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3699

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

सौभाग्य योजना की प्रगति

3699. श्री मनोज कोटक:

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य शुरू की है जिसका उद्देश्य सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में प्रत्येक घर को बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से सितंबर, 2017 में शुरू की गई योजना के कार्यान्वयन की प्रगति के संबंध में कोई आकलन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र के गढ़चिरोली क्षेत्र, छत्तीसगढ़ और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की। सौभाग्य के तत्वावधान में, दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, राज्यों द्वारा सभी इच्छुक घरों में विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी। इसके बाद, सात राज्यों नामतः असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया कि दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित, लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर हैं, जो पहले अनिच्छुक थे लेकिन बाद में उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसकी भी संस्वीकृति दी गई थी। इन सभी सात राज्यों ने दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार 100% घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी थी। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

इसके बाद, कुछ राज्यों ने सूचित किया था कि 11.84 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है, जिसके निमित्त, राज्यों ने सूचित किया कि 4.43 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तदनुसार, कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। इसके राज्य-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं। यह स्कीम दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो चुकी है।

(ख) : इस स्कीम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन एक सतत् प्रक्रिया है। सौभाग्य, जो दिनांक 31.03.2022 को अब बंद हो गई है, के कार्यान्वयन की, पूरे देश के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा पूर्णता के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए थे:

- (i) केंद्रीय स्तर पर, सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता में सौभाग्य पर अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति तथा भारत सरकार इस स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। इसके साथ-साथ, विद्युत मंत्रालय की समीक्षा, आयोजना और निगरानी (आरपीएम) बैठकों में राज्यों/विद्युत यूटिलिटीयों के साथ इस स्कीम की प्रगति की समीक्षा भी की जा रही थी।
- (ii) राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रगति की निगरानी करती है। इसके अतिरिक्त, इसकी प्रगति की मासिक आधार पर तथा पाक्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है।
- (iii) रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरईसी), नोडल एजेंसी, क्षेत्रीय स्तर पर अपने राज्य कार्यालयों के माध्यम से इस स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।
- (iv) जिला स्तर पर, जिले के वरिष्ठतम माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) तथा संयोजक के रूप में जिला मजिस्ट्रेट के साथ सह-अध्यक्ष के रूप में जिले के अन्य संसद सदस्यों की अध्यक्षता में [ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा जिला वैद्युत समिति (डीईसी) के तत्वाधान में] जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा), प्रगति की समीक्षा की गई है।

(ग) : सौभाग्य पोर्टल के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में गढ़चिरौली क्षेत्र के 37,949 घरों सहित कुल 15,17,922 घरों का विद्युतीकरण किया गया है। सौभाग्य पोर्टल के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 7,92,368 घरों का विद्युतीकरण किया गया है, जिसमें दिनांक 31.03.2022 तक डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर भी शामिल हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3699 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण/डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त संस्वीकृतियां और उपलब्धि (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्यों के नाम	सौभाग्य के अंतर्गत संस्वीकृत मूल घर	सौभाग्य के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर		कुल जोड़
		दिनांक 11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2021 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत कुल घर	संस्वीकृत अतिरिक्त घर	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत अतिरिक्त घर	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=5+7
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930	0	1,81,930			1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	असम	17,45,149	2,00,000	19,45,149	480249	381507	23,26,656
4	बिहार	32,59,041	0	32,59,041			32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397	40,394	7,89,791	21981	2577	7,92,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			12,891
9	जम्मू और कश्मीर	3,77,045	0	3,77,045			3,77,045
10	झारखंड	15,30,708	2,00,000	17,30,708			17,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974	26,824	3,83,798			3,83,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264	0	19,84,264	99722	0	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922	0	15,17,922			15,17,922
15	मणिपुर	1,02,748	5,367	1,08,115	21135	0	1,08,115
16	मेघालय	1,99,839	0	1,99,839	420	401	2,00,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			27,970
18	नागालैंड	1,32,507	0	1,32,507	7009	7009	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444	0	24,52,444			24,52,444
20	पुडुचेरी*	912	0	912			912
21	पंजाब	3,477	0	3,477			3,477
22	राजस्थान (जयपुर)	18,62,736	2,12,786	20,75,522	210843	52206	21,27,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			14,900
24	तमिलनाडु *	2,170	0	2,170			2,170
25	तेलंगाना	5,15,084	0	5,15,084			5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090	0	1,39,090			1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568	12,00,003	91,80,571	334652	0	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751	0	2,48,751			2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290	0	7,32,290			7,32,290
कुल		2,62,84,350	18,85,374	2,81,69,724	11,83,870	4,43,700	2,86,13,424

* सौभाग्य से पूर्व विद्युतीकृत और सौभाग्य के तहत वित्त पोषित नहीं हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3710

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

ऊर्जा की सार्वभौमिक पहुंच

3710. श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ऊर्जा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इस संबंध में हुई प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) इस संबंध में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) इस संबंध में किए गए/किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की शुरुआत की। सौभाग्य के तत्वावधान में, दिनांक 31.03.2019 तक की स्थिति के अनुसार, छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों में 18,734 घरों को छोड़कर, राज्यों द्वारा सभी इच्छुक घरों में विद्युतीकरण की सूचना दी गई थी। इसके बाद, सात राज्यों नामतः असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सूचित किया कि दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचिन्हित, लगभग 19.09 लाख गैर-विद्युतीकृत घर हैं, जो पहले अनिच्छुक थे लेकिन बाद में उन्होंने विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसकी भी संस्वीकृति दी गई थी। इन सभी सात राज्यों ने दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार 100% घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी थी। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

इसके बाद, कुछ राज्यों ने सूचित किया था कि 11.84 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है, जिसके निमित्त, राज्यों ने सूचित किया कि 4.43 लाख घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तदनुसार, कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। इसके राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं। यह स्कीम दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो चुकी है।

नए घरों का निर्माण करना एक सतत प्रक्रिया है और ऐसे घरों के विद्युतीकरण का ध्यान वितरण यूटिलिटीयों द्वारा रखा जाना अपेक्षित है। भारत सरकार सौभाग्य की संस्वीकृति के समय मौजूद सभी घरों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों की सहायता हेतु प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, भारत सरकार ने हाल ही में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत उनके विद्युतीकरण हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं और इस संबंध में राज्यों को अपनी डीपीआर विद्युत मंत्रालय को भेजने की सलाह दी गई है।

(ग) : सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत सामना की गई चुनौतियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

- (i) दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों में बिखरे हुए घर
- (ii) दुर्गम और पहाड़ी इलाके, खराब मौसम, नदी के किनारे/दलदली/बर्फ से घिरे क्षेत्रों को कवर करने की आवश्यकता है।
- (iii) हेड लोडिंग, हेलीकॉप्टर, बांस पुल, राफ्ट, नाव आदि द्वारा सामग्री का परिवहन।
- (iv) खराब/अपर्याप्त विद्युत अवसंरचना
- (v) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में स्थित होना
- (vi) वन क्षेत्र - अपेक्षित मंजूरी
- (vii) स्थानीय स्तर पर सामग्रियों (जैसे पोल, वितरण ट्रांसफार्मरों, मीटरों आदि) की अनुपलब्धता
- (viii) विभिन्न मार्गाधिकार संबंधी मुद्दे।

(घ) : इस संबंध में चुनौतियों का सामना करने के लिए उठाए गए कदमों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

- I. राज्यों में कार्यक्रम में तेजी लाने पर बल देने के लिए सौभाग्य कार्यनीति निर्माण वर्कशॉप शुरू करना।
- II. गाँवों/गाँवों के समूहों में शिविरों की स्थापना करना जिसमें जनप्रतिनिधियों (सांसदों, विधायकों, ग्राम प्रधान) ने बड़े पैमाने पर जनता के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद की।
- III. सौभाग्य के अंतर्गत घरों के विद्युतीकरण के लिए 14,270 करोड़ रुपये की अवसंरचना सहायता और भारत सरकार द्वारा राज्यों को पर्याप्त वित्तपोषण उपलब्ध कराया गया।
- IV. 'वन नेशन वन नंबर' टोल-फ्री हेल्पलाइन और विशेष अभियान 'सौभाग्य रथ' के माध्यम से 24x7 संचार ने प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर आदि) जैसे विभिन्न मीडिया विकल्पों के साथ जागरूकता पैदा करने में मदद की।
- V. कार्यान्वयन के तरीकों में राज्यों के लिए लचीलापन (विभागीय/टर्नकी/अर्ध-टर्नकी)।
- VI. एक व्यापक वेब पोर्टल 'saubhagya.gov.in' विकसित किया गया था और दिन-प्रतिदिन की निगरानी को सक्षम बनाने के लिए पोर्टल पर प्रगति को अद्यतित करने के लिए डिस्कॉम को पहुंच प्रदान की गई थी।
- VII. उत्पादों और उपकरणों की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए) के साथ समन्वय करना।
- VIII. कार्यबल के प्रभावी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ समन्वय के माध्यम से, अपेक्षित कौशल युक्त पर्याप्त कुशल जनशक्ति की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करना।
- IX. ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के अंतर्गत परियोजनाओं की निगरानी में 350 से अधिक इंजीनियरों अर्थात ग्राम विद्युत अभियंता (जीवीए) को तैनात किया गया था।
- X. हेलीकॉप्टरों और भारतीय रेलवे का सहयोग अज्ञात तथा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने में सहायक थे।
- XI. सरकारी केंद्र राज्यों और वितरण यूटिलिटियों के सभी स्तरों पर निगरानी एवं समीक्षाएं करना।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3710 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण/डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त संस्वीकृतियां और उपलब्धि (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	सौभाग्य के अंतर्गत संस्वीकृत मूल घर	सौभाग्य के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर		कुल जोड़
		दिनांक 11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2021 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत कुल घर	संस्वीकृत अतिरिक्त घर	दिनांक 31.03.2021 तक की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत अतिरिक्त घर	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=5+7
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930	0	1,81,930			1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	असम	17,45,149	2,00,000	19,45,149	480249	381507	23,26,656
4	बिहार	32,59,041	0	32,59,041			32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397	40,394	7,89,791	21981	2577	7,92,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			12,891
9	जम्मू और कश्मीर	3,77,045	0	3,77,045			3,77,045
10	झारखंड	15,30,708	2,00,000	17,30,708			17,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974	26,824	3,83,798			3,83,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264	0	19,84,264	99722	0	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922	0	15,17,922			15,17,922
15	मणिपुर	1,02,748	5,367	1,08,115	21135	0	1,08,115
16	मेघालय	1,99,839	0	1,99,839	420	401	2,00,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			27,970
18	नागालैंड	1,32,507	0	1,32,507	7009	7009	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444	0	24,52,444			24,52,444
20	पुडुचेरी*	912	0	912			912
21	पंजाब	3,477	0	3,477			3,477
22	राजस्थान (जयपुर)	18,62,736	2,12,786	20,75,522	210843	52206	21,27,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			14,900
24	तमिलनाडु *	2,170	0	2,170			2,170
25	तेलंगाना	5,15,084	0	5,15,084			5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090	0	1,39,090			1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568	12,00,003	91,80,571	334652	0	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751	0	2,48,751			2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290	0	7,32,290			7,32,290
	कुल	2,62,84,350	18,85,374	2,81,69,724	11,83,870	4,43,700	2,86,13,424

* सौभाग्य से पूर्व विद्युतीकृत और सौभाग्य के तहत वित्त पोषित नहीं हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3721

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति

3721. श्रीमती हिमाद्री सिंह:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या शहडोल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिजली उपलब्ध कराने की कोई नई परियोजना विचाराधीन है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : जनजातीय बहुल ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करना संबंधित वितरण यूटिलिटी की प्रमुख जिम्मेदारी है। भारत सरकार समय-समय पर शुरू की गई विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को वित्तपोषण मुहैया कराते हुए राज्यों के प्रयासों में सहयोग कर रही है।

(ख) से (ङ) : भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में वितरण प्रणालियों के सुदृढीकरण और गांवों के विद्युतीकरण के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के गांवों सहित सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत, मध्य

प्रदेश के 422 गाँवों सहित देश भर में कुल 18374 गाँवों का विद्युतीकरण किया गया था। यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई थी।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की। दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, दिनांक 31.03.2019 से पहले पहचाने गए पहाड़ी क्षेत्रों सहित, सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों का 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है। सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई (नई) स्कीमों के अंतर्गत दिनांक 31-3-2022 तक की स्थिति के अनुसार कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

मध्य प्रदेश में, दिनांक 31-3-2022 तक, कुल 19,84,264 घरों का विद्युतीकरण किया गया था। सौभाग्य स्कीम दिनांक 31-03-2022 को बंद हो गई थी।

इसके अतिरिक्त, सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित घरों के लिए सोलर रूफ टॉप के माध्यम से विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान था। सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई(नई) के अंतर्गत, दूरस्थ क्षेत्रों में सौर ऊर्जा प्रणाली की संस्थापना के माध्यम से कुल 4,70,415 घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

हाल ही में, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सहित, देश में वित्तीय रूप से स्थायी और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से, जुलाई, 2021 में एक नई संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपये है और केंद्र सरकार से अनुमानित जीबीएस 97,631 करोड़ रुपये है।

इस स्कीम के अंतर्गत, एबीसी केबल/यूजी केबल/एचवीडीएस आदि के उपयोग से हानियाँ और चोरी को कम करने, स्काडा, सम्प्रेषणयोग्य प्रणाली मीटरिंग और 25 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्री-पेड मीटरिंग आदि सहित प्रणाली आधुनिकीकरण के लिए वितरण अवसंरचना संबंधी उपायों के उन्नयन हेतु पात्र डिस्कामों अर्थात सभी डिस्कामों/विद्युत विभागों (निजी क्षेत्र के डिस्कामों को छोड़कर) को वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3740

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान

3740. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री बिद्युत बरन महतो:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ अन्य देशों (विदेशी कंपनियों) ने देश में केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) द्वारा बनाए गए विद्युत उपकरणों के प्रमाणन को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित देशों के भारतीय मिशन/दूतावासों के साथ कोई बैठक की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने चीन में निर्मित उपकरणों पर अंकुश लगाने और विद्युत उत्पादन, वितरण और पारेषण में फर्मों को आकर्षित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पहलों के अंतर्गत समर्पित 'विनिर्माण क्षेत्रों' की स्थापना की है/स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा 1503.21 बिलियन अमरीकी डॉलर के वैश्विक विद्युत उपकरण बाजार, जिसमें चीन की हिस्सेदारी पहले से ही 500 बिलियन डॉलर की है, पर कब्जा करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन (आईईईएमए) ने कुछ विदेशी यूटिलिटीयों द्वारा, केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) द्वारा जारी किए गए परीक्षण प्रमाणपत्रों को स्वीकार नहीं करने पर चिंता व्यक्त की थी। इस संदर्भ में, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 16.02.2023 को संबंधित देशों के भारतीय मिशन/दूतावासों के साथ बैठक की। उद्योग द्वारा सूचित की गई चुनौतियों से

मिशनो को अवगत कराया गया था। बैठक में, सीपीआरआई के प्रत्ययपत्रों एवं प्रमाणों के बारे में अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ इसकी तुलना सहित जानकारी दी गई और यह बताया गया कि सीपीआरआई प्रयोगशालाओं की सुविधाएं अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के समकक्ष हैं। भारतीय मिशनो ने मुद्दों के समाधान के लिए इस मामले को संबंधित देशों के साथ उठाने की सूचना दी है।

(घ) : विद्युत मंत्रालय (एमओपी) और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने संयुक्त रूप से 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने और भारत को विद्युत एवं नवीकरणीय उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने के लिए "विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के लिए विनिर्माण अंचल की स्थापना" हेतु एक स्कीम शुरू की है। प्रयोग के तौर पर, एमओपी तथा एमएनआरई ने वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक के दौरान, 400 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ, एक ब्राउनफील्ड विनिर्माण क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी की गई थी और बोलियों के मूल्यांकन के बाद, विद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण के लिए विनिर्माण अंचल स्थापित करने का कार्य मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) को अवाई किया गया है।

(ङ) : विद्युत उपकरण क्षेत्र सहित, विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए "आत्मनिर्भर भारत" पहल के तहत सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रमुख उपायों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

- (i) स्वदेशी विनिर्मित वस्तुओं संबंधी खरीद वरीयता प्रदान करने के लिए औद्योगिक स्टीम जेनरेटरों/बॉयलरों के संबंध में सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) संबंधी आदेश जारी किया गया है।
- (ii) नए बाजारों को विकसित करने, नए उत्पादों और नए निर्यातकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ मौजूदा भारतीय निर्यात बाजारों को समेकित करने के लिए वाणिज्य विभाग की मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव (एमएआई) स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एमएआई स्कीम के तहत सहायता प्राप्त गतिविधियों में विदेशों में मेलों, प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता सम्मेलनों (बीएसएम), भारत में रिवर्स क्रेता-विक्रेता बैठकों (आरबीएसएम) के आयोजन/में प्रतिभागिता तथा निर्यातकों द्वारा निरीक्षण प्रभारों आदि उत्पाद पंजीकरण प्रभारों, संयंत्र निरीक्षण प्रभारों आदि जैसे वैधानिक अनुपालनों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है।
- (iii) निर्यात किए गए उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम दिनांक 01.01.2021 से लागू की गई है।
- (iv) भारत द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित व्यापार समझौते, नामतः भारत-यूई व्यापक भागीदारी समझौता और भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग तथा व्यापार समझौते ने विद्युत उपकरणों के लिए व्यापक बाजार पहुंच प्रदान की है।
- (v) निर्यातकों द्वारा व्यापार को सुविधाजनक बनाने और मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) का उपयोग बढ़ाने के लिए मूल देश प्रमाण पत्र हेतु सामान्य डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है।
- (vi) प्रत्येक जिले में निर्यात संभाव्य वाले उत्पादों की पहचान करने, इन उत्पादों के निर्यात की बाधाओं को दूर करने और जिले में रोजगार सृजित करने के लिए स्थानीय निर्यातकों/निर्माताओं को समर्थन देकर जिलों का निर्यात हब के रूप में शुभारंभ किया गया है।
- (vii) भारत के व्यापार, पर्यटन, प्रौद्योगिकी तथा निवेश लक्ष्यों को बढ़ावा देने की दिशा में विदेशों में भारतीय मिशनो की सक्रिय भूमिका में वृद्धि की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3747

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

पुराने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र

3747. श्री अरूण सावः

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारेः

श्री सुनील कुमार सोनीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित देश के पुराने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा सुपर क्रिटिकल और अल्ट्रा सुपर-क्रिटिकल तकनीक आधारित ताप विद्युत संयंत्रों जैसी प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस-रहित गतिविधि है और विद्युत उत्पादक यूटिलिटीयों/कंपनियों द्वारा उनके अपने तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर इकाइयों के चरणबद्ध समापन/कार्य काल समाप्ति का निर्णय लिया जाता है।

(ग) : उच्च दक्षताएं प्राप्त करने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, देश में प्रचलित अधिकतर ताप विद्युत संयंत्र पहले ही सुपर क्रिटिकल/अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकियों को अपना चुके हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3774

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन में वृद्धि

3774. श्री संजय सेठ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए कोई विस्तृत योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों पर केंद्र सरकार की लंबित/देय धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान राज्यों द्वारा केंद्र सरकार को दी गई देय राशि के भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या झारखंड सरकार ने विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने और अधिकतम समयावधि के लिए लोगों को विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने उत्पादन आयोजना अध्ययन किया है और वर्ष 2022 में नेशनल इलैक्ट्रिसिटी प्लान (एनईपी) प्रकाशित की, जिसमें वर्ष 2026-27 और 2031-32 के अंत तक संस्थापित क्षमता का अनुमान दिया गया है। मसौदा एनईपी के अनुसार वर्ष 2026-27 के लिए संभावित संस्थापित क्षमता 622,899 मेगावाट है, जिसमें 278,382 मेगावाट की पारंपरिक क्षमता (कोयला-239,333 मेगावाट, गैस-25,269 मेगावाट, परमाणु-13,780 मेगावाट) और 344,517 मेगावाट की नवीकरणीय आधारित क्षमता वृद्धि (बड़ी जल

विद्युत 2,929 मेगावाट, सौर-186,076 मेगावाट पवन-80,858 मेगावाट, लघु हाइड्रो-4848 मेगावाट, बायोमास-13,000 मेगावाट, पीएसपी-6806 मेगावाट) शामिल है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2031-32 के लिए संभावित संस्थापित क्षमता 865941 मेगावाट है, जिसमें 296517 मेगावाट की पारंपरिक क्षमता (कोयला-248767 मेगावाट, गैस-25270 मेगावाट, परमाणु- 22,480 मेगावाट) और 569424 मेगावाट की नवीकरणीय आधारित क्षमता वृद्धि (बड़ी हाइड्रो-63,816 मेगावाट, सौर-333,476 मेगावाट, पवन- 133,958 मेगावाट, लघु हाइड्रो-4848 मेगावाट, बायोमास-14,500 मेगावाट, पीएसपी-18826 मेगावाट)) शामिल है। साथ ही वर्ष 2031-32 के लिए, 51.55 गीगावाट की 5-घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) क्षमता का भी अनुमान लगाया गया है।

(ग) से (ड) : विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने दिनांक 3 जून, 2022 को विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 (एलपीएस नियम, 2022) अधिसूचित किए, जिसके अंतर्गत उत्पादन कंपनियों के दिनांक 3 जून, 2022 से पहले की सभी देय राशियों को पुरानी बकाया राशियों के रूप में माना गया था, और वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) को दिनांक 5 अगस्त, 2022 को देय प्रथम ईएमआई के साथ समान मासिक किश्तों (ईएमआई) में इस तरह की देय राशियों का भुगतान करने का विकल्प दिया गया था।

तेरह (13) राज्यों ने बकाया देय राशियों की सूचना दी और दिनांक 03.06.2022 तक की स्थिति के अनुसार कुल 1,38,428 करोड़ रुपये की बकाया राशि के साथ एलपीएस नियमों के अंतर्गत ईएमआई विकल्पों को चुना। आठ (8) ईएमआईयों के भुगतान के साथ-साथ कुछ डिस्कॉमों द्वारा कुल 47,317 करोड़ रुपये के प्री-पेमेंट के बाद, बकाया राशि घटकर 91,111 करोड़ रुपये हो गई है। दिनांक 17.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली डिस्कॉमों की देय राशियों के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं। राज्य-वार और डिस्कॉम-वार बकाया राशि के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(च) और (छ) : नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी) द्वारा विकसित की जा रही नॉर्थ करनपुरा स्टेट थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एसटीपीपी) (2* 660=1320 एमडब्ल्यू) और पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा पतरातू एसटीपीपी (3 *800=2400 मेगावाट) (एनटीपीसी और जेबीवीएनएल का जेवी) (पीवीयूएनएल) द्वारा विकसित की जा रही है। यह वर्तमान में झारखंड में निर्माणाधीन हैं, जो भविष्य में झारखंड को भी लाभ प्रदान करेगा।

विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए, राज्य को अपनी विद्युत मांग को पूरा करने के लिए योजना बनानी होगी। तथापि, केंद्र सरकार केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से विद्युत आबंटित करके राज्यों की सहायता करती है। दिनांक 28.02.2023 तक की स्थिति के अनुसार, झारखंड राज्य को केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों से 1545.6 मेगावाट विद्युत आबंटित की गई है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3774 के उत्तर के भाग (ग) से (ड) में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 17.03.2023 को आपूर्तिकर्ताओं को डिस्कॉम की देय राशियों का भुगतान किया जाना है।

डिस्कॉमों को भुगतान की जाने वाली देय राशियों का सार			(करोड़ रुपये में)
क्र. सं.	विवरण	सभी आपूर्तिकर्ता*	सभी सीपीएसयू (जेनको, विक्रेता तथा ट्रांसको)
क	पुरानी देय राशियां, दिनांक 03.06.2023 तक की स्थिति के अनुसार (जैसा कि डिस्कॉमों द्वारा सूचित किया गया है)	1,38,428	26,828
ख	कमी:- डिस्कॉमों द्वारा 8 ईएमआईयों तक का भुगतान	47,317	7,722
1	दिनांक 17.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार शेष पुरानी देय राशियों और 8 ईएमआई के भुगतान के बाद ईएमआई में परिवर्तित (जैसा कि डिस्कॉमों द्वारा सूचित किया गया है) (क-ख)	91,111	19,106
2	दिनांक 17.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार अतिदेय (अर्थात् देय तिथि के बाद) (प्राप्ति पोर्टल के अनुसार)	22,095	5,366
	कुल देय राशियां (करोड़ रुपये में) विवादित राशि को छोड़कर (1+2)	1,13,206	24,472

*आपूर्तिकर्ता का अर्थ जेनकोस, ट्रांसको एवं विक्रेता है।

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3774 के उत्तर के भाग (ग) से (ड) में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 17.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं* को भुगतान की जाने वाली डिस्कॉमों की देय राशियों की स्थिति

सभी आंकड़े करोड़ रुपये में

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	दिनांक 17.03.2023 की स्थिति के अनुसार सभी आपूर्तिकर्ताओं की पुरानी देय राशियाँ और ईएमआई में परिवर्तित (जैसा कि डिस्कॉमों द्वारा सूचित किया गया है)	दिनांक 17.03.2023 को सभी सीपीएसयू (जेनकोज, विक्रेता और ट्रांसको) का पुरानी देय राशियाँ और ईएमआई में परिवर्तित (जैसा कि डिस्कॉमों द्वारा सूचित किया गया है)	दिनांक 17.03.2023 को सभी आपूर्तिकर्ताओं का अतिदेय (प्राप्ति पोर्टल के अनुसार)	दिनांक 17.03.2023 को सभी सीपीएसयू (जेनकोज, विक्रेता और ट्रांसको) का अतिदेय (प्राप्ति पोर्टल के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	5,868	170	38	22
2	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड			60	35
3	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश विद्युत क्रय समन्वय समिति			929	697
4	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड			463	43
5	बिहार	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	143	143	93	13
6	बिहार	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	182	173	249	120
7	चंडीगढ़	चंडीगढ़ विद्युत विभाग	-	-	24	20
8	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	3,330	-	84	-
9	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	-	-	4	1
10	दिल्ली	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	-	-	17	15
11	दिल्ली	दिल्ली टाटा पावर वितरण लिमिटेड	-	-	109	41
12	दिल्ली	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद	-	-	117	113
13	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	-	-	915	9
14	हरियाणा	हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र	-	-	434	-
15	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	-	-	173	159
16	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत व्यापार कंपनी लिमिटेड	8,721	6,749	0	0
17	झारखंड	झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	3,894	3,189	176	64
18	कर्नाटक	बंगलौर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	6,274	-	438	62
19	कर्नाटक	चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड	1,040	-	190	8
20	कर्नाटक	गुलबर्गा विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	1,703	50	351	24
21	कर्नाटक	हुबली विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	1,973	4	1,353	112

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	दिनांक 17.03.2023 की स्थिति के अनुसार सभी आपूर्तिकर्ताओं की पुरानी देय राशियां और ईएमआई में परिवर्तित (जैसा कि डिस्कॉमों द्वारा सूचित किया गया है)	दिनांक 17.03.2023 को सभी सीपीएसयू (जेनकोज, विक्रेता और ट्रांसको) का पुरानी देय राशियां और ईएमआई में परिवर्तित (जैसा कि डिस्कॉमों द्वारा सूचित किया गया है)	दिनांक 17.03.2023 को सभी आपूर्तिकर्ताओं का अतिदेय (प्राप्ति पोर्टल के अनुसार)	दिनांक 17.03.2023 को सभी सीपीएसयू (जेनकोज, विक्रेता और ट्रांसको) का अतिदेय (प्राप्ति पोर्टल के अनुसार)
22	कर्नाटक	मैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	104	-	5	1
23	केरल	केरल राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड	-	-	91	1
24	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	6,800	680	1,289	565
25	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	14,174	34	5,880	6
26	मणिपुर	मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	54	38	27	27
27	मेघालय	मेघालय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	-	-	677	677
28	मिजोरम	मिजोरम विद्युत विभाग	-	-	17	17
29	नागालैंड	नागालैंड विद्युत विभाग	-	-	0	0
30	ओडिशा	ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा	-	-	480	323
31	पुदुचेरी	पुदुचेरी विद्युत विभाग	-	-	6	-
32	पंजाब	पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	-	-	571	104
33	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2,046	-	340	52
34	राजस्थान	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	4,892	-	782	58
35	राजस्थान	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	4,575	-	853	132
36	राजस्थान	राजस्थान डिस्कॉम विद्युत क्रय केंद्र	-	-	0	-
37	सिक्किम	सिक्किम विद्युत विभाग	-	-	4	4
38	तमिलनाडु	तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड	14,024	5,824	2,958	1,466
39	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य उत्तरी विद्युत वितरण कंपनी	1,717	360	110	52
40	तेलंगाना	तेलंगाना राज्य दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी	4,187	912	497	82
41	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लिमिटेड	-	-	84	84
42	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड	5,410	782	1,179	138
43	उत्तराखंड	उत्तराखंड विद्युत निगम लिमिटेड	-	-	6	0
44	पश्चिम बंगाल	दामोदर घाटी निगम	-	-	6	5
45	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	-	-	15	10
	कुल जोड़		91,111	19,107	22,095	5,366

*आपूर्तिकर्ता का अर्थ जेनकोज, ट्रांसको तथा विक्रेता है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3792

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

बिजली की कमी

3792. श्री डी.एम. कथीर आनन्द:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा अधिनियमित, पड़ोसी राज्यों के साथ बिजली साझा करने के कारण अधिशेष बिजली/ऊर्जा पैदा करने के दौरान बिजली/ऊर्जा की कमी से जूझ रहे तमिलनाडु, जैसे राज्य की सहायता करने के लिए सरकार के पास कोई संयंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है और देश में अधिशेष बिजली पैदा करने वाले विभिन्न राज्यों की तमिलनाडु से क्या तुलना है; और

(घ) इस संबंध में पिछले सात वर्षों के दौरान तमिलनाडु को कितनी निधि आवंटित और वितरित की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 2021-22 और वर्तमान वर्ष अर्थात् वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 की अवधि) के दौरान ऊर्जा के मामले में तमिलनाडु की विद्युत आपूर्ति की स्थिति **अनुबंध-1** में दी गई है। तमिलनाडु राज्य में समग्र विद्युत आपूर्ति की स्थिति ऊर्जा की आवश्यकता एवं ऊर्जा आपूर्ति के बीच केवल एक नगण्य अंतर के साथ सहज है। जबकि ऊर्जा की आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच का अंतर सामान्यतः, देश में विद्युत की उपलब्धता की अपर्याप्तता के अलावा उदाहरणार्थ वितरण नेटवर्क में बाधाएं, वित्त बाधाएं, वाणिज्यिक कारण, उत्पादन इकाइयों की कटौतियाँ आदि के कारण होता है।

विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय होने के नाते, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटीयों के कार्य-क्षेत्र में आता है। किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के विद्युत उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से विद्युत की उचित मात्रा की व्यवस्था करना संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटीयों के अधिकार क्षेत्र में है। केंद्र सरकार केवल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के

माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करते हुए और उनसे विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युत आबंटित करते हुए राज्य सरकारों के प्रयासों का अनुपूरण करती है।

(ग) : तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन क्षमता और उत्पादित विद्युत के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(घ) : पिछले सात वर्षों के दौरान विद्युत प्रणाली विकास निधि (पीएसडीएफ) स्कीम के अंतर्गत तमिलनाडु को आबंटित और वितरित की गई निधियों के ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने डिस्कामों के विलंब भुगतान अधिभार के बोझ को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में पीएफसी और आरईसी के माध्यम से लिक्विडिटी निषेचन स्कीम (एलआईएस) की घोषणा की। एलआईएस के अंतर्गत, तमिलनाडु उत्पादन एवं वितरण कॉरपोरेशन को संस्वीकृत ऋण राशि 30230 करोड़ रुपये है तथा संवितरित की गई राशि 26797.40 करोड़ रुपये है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3792 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले वर्ष अर्थात् 2021-22 और वर्तमान वर्ष अर्थात् 2022-23 (अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 की अवधि तक) के दौरान ऊर्जा के मामले में तमिलनाडु की विद्युत आपूर्ति की स्थिति।

वर्ष	ऊर्जा (एमयू)			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
2021-22	109,816	109,798	18	0.0
2022-23 (फरवरी, 2023 तक) *	103,794	103,718	77	0.1

(* अंतिम

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3792 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन क्षमता और उत्पादित विद्युत का विवरण

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट) (दिनांक 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार)	पारंपरिक उत्पादन (एमयू) 2022-23 (जनवरी, 2023 तक)	आरई उत्पादन (एमयू) 2022- 23 (जनवरी, 2023 तक)	कुल उत्पादन (एमयू) 2022-23 (जनवरी, 2023 तक)
उत्तरी क्षेत्र				
चंडीगढ़	58.69		9.75	9.75
दिल्ली	2504.70	3418.64	427.06	3845.70
हरियाणा	7097.56	27632.49	1196.71	28829.20
हिमाचल प्रदेश	11330.39	35805.39	2703.84	38509.23
जम्मू एवं कश्मीर	3779.36	14889.29	343.15	15232.44
लद्दाख	89.00	373.83	0.00	373.83
पंजाब	8606.79	30246.18	3273.73	33519.91
राजस्थान	34277.65	54383.55	33907.75	88291.30
उत्तर प्रदेश	31465.11	132255.45	5386.11	137641.56
उत्तराखंड	5359.13	14029.64	778.10	14807.74
कुल जोड़ (उ.क्षे.)	104568.38	313034.46	48026.20	361060.66
पश्चिमी क्षेत्र				0.00
छत्तीसगढ़	25103.89	115932.11	1589.29	117521.40
गुजरात	44939.76	56044.73	25451.76	81496.49
मध्य प्रदेश	30059.53	120213.35	7576.80	127790.15
महाराष्ट्र	43246.58	115955.97	14240.65	130196.62
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	46.47		27.69	27.69
गोवा	74.79	0.00	16.08	16.08
कुल जोड़ (प.क्षे.)	143471.02	408146.16	48902.27	457048.43
दक्षिणी क्षेत्र				0.00
आंध्र प्रदेश	27485.40	53451.84	13987.70	67439.54
तेलंगाना	15344.62	47241.04	6001.54	53242.58
कर्नाटक	30545.52	44641.03	24551.95	69192.98
केरल	3596.34	7059.24	1682.38	8741.62
तमिलनाडु	37218.68	73133.57	24212.06	97345.63
लक्षद्वीप	30.10	4.80	0.09	4.89
पुदुचेरी	68.03	193.12	10.20	203.32
कुल जोड़ (द.क्षे.)	114288.70	225724.64	70445.91	296170.55
पूर्वी क्षेत्र				0.00
अंडमान निकोबार	127.87	160.95	32.43	193.38
बिहार	8789.60	45801.24	213.32	46014.56
झारखंड	5227.89	25794.24	16.76	25811.00
ओडिशा	12322.22	58081.30	1005.00	59086.30
सिक्किम	2341.80	11138.52	10.30	11148.82
पश्चिम बंगाल	15514.57	75046.06	1652.79	76698.85
कुल जोड़ (पू.क्षे.)	44323.95	216022.31	2930.59	218952.90
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				0.00
अरुणाचल प्रदेश	1259.70	4463.11	24.35	4487.46
असम	1881.40	7524.16	230.92	7755.08
मणिपुर	158.73	460.49	6.94	467.43
मेघालय	372.48	918.20	63.92	982.12
मिजोरम	113.49	182.63	45.75	228.38
नागालैंड	109.71	169.24	105.76	275.00
त्रिपुरा	1101.05	5843.67	5.49	5849.16
कुल जोड़ (उ.पू.क्षे.)	4996.55	19561.50	483.13	20044.63
भूटान (आयात)	0.00	6698.30		6698.30
अखिल भारत कुल	411648.60	1189187.37	170788.10	1359975.47

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3792 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तमिलनाडु से संबंधित पीएसडीएफ से वित्तपोषित परियोजनाओं का विवरण					
					राशि करोड़ रुपये में
क्र. सं.	प्रस्ताव का नाम	संस्वीकृत अनुदान	संस्वीकृति की तिथि	करार हस्ताक्षर हुआ	अनुदान जारी हुआ
1	टेनट्रांसको द्वारा सुरक्षा प्रणाली का आरएंडयू (20)	124.45	4-अगस्त-15	29-जनवरी-16	81.12
2	तमिलनाडु में इन्फ्रा स्टेट एबीटी के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और आईटी अवसंरचना की संस्थापना। (085)	11.98	2-जनवरी-17	24-नवंबर-17	9.84
3	400 केवी, 230 केवी और 110 केवी जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों की सुरक्षा प्रणाली का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण। (084)	167.48	16-मई-17	8-जनवरी-18	59.71
4	तमिलनाडु में 110 केवी और उससे ऊपर के स्तर के सबस्टेशन के लिए विश्वसनीय संचार और डेटा अधिग्रहण प्रणाली। (151)	155.48	15-नवंबर-17	3-जून-19	81.73
5	तमिलनाडु के मदुरै क्षेत्र में कुल टर्नकी केंद्र के अंतर्गत कामुधी में 400/230-110 केवी एआईएस एसएस के लिए संबद्ध उपकरणों के साथ 400 केवी के 2, 80 एमवीएआर बस रिएक्टर की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और चालू (188)	14.80	24-मई-19	22-जनवरी-20	13.31
6	तमिलनाडु के तिरुनेवेली क्षेत्र में कुल टर्नकी अनुबंध के अंतर्गत कयाथर में 400/230-110 केवी सबस्टेशन के लिए संबद्ध उपकरणों के साथ 400 केवी की 1, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और चालू (193)	8.21	24-मई-19	22-जनवरी-20	7.39
7	तमिलनाडु के चेन्नई उत्तर क्षेत्र में कुल टर्नकी अनुबंध के अंतर्गत मनाली में 400 केवी जीआईएस सबस्टेशन के लिए संबद्ध उपकरणों के साथ 400 केवी के 2, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और चालू (198)	14.31	20-मार्च-20	28-सितम्बर-20	12.88
8	तमिलनाडु के चेन्नई उत्तर क्षेत्र में कुल टर्नकी अनुबंध के अंतर्गत अलमाथी में 400 केवी सबस्टेशन के लिए संबद्ध उपकरणों के साथ 400 केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर की 1 संख्या की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और चालू (202)	8.96	24-मई-19	22-जनवरी-20	8.07
9	तमिलनाडु के इरोड क्षेत्र में कुल टर्नकी अनुबंध के अंतर्गत एमपीटीएस चरण-III जीआईएस स्विचयार्ड के लिए संबंधित उपकरणों के साथ 400 केवी, 125 एमवीएआर बस रिएक्टर की 1 संख्या की आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और चालू (205)	9.54	24-मई-19	22-जनवरी-20	5.79
कुल अनुमोदित प्रस्ताव		515.21			279.83

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3826

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

'गो इलेक्ट्रिक' अभियान

3826. श्री मोहनभाई कुंडारिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने स्वच्छ और हरित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में एक 'गो इलेक्ट्रिक' अभियान शुरू किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) गुजरात में कार्यरत ई-वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या का जिला-वार ब्यौरा क्या है;
- (घ) प्रस्तावित अतिरिक्त चार्जिंग स्टेशनों की संख्या और उनके स्थान और क्षमता से संबंधित ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या इन चार्जिंग स्टेशनों के कुछ प्रतिशत स्टेशनों में जीवाश्म ईंधन द्वारा चार्ज किया जाता है या ये ग्रिड से जुड़े होते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा चार्ज करने के मूल्यों को मानकीकृत करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय ने ई-मोबिलिटी के लाभों के संबंध में आम जनता को जागरूक करने, ईवी अपनाने के लिए सरकारी प्रोत्साहनों के बारे में संभावित ईवी स्वामियों को सूचित करने, ईवी के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न करते हुए इसे मांग में परिवर्तित करने, इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में अविश्वासी गलत सूचना और एक मंच के अंतर्गत बहुविध हितधारकों को एक साथ लाने के लिए दिनांक 19.02.2021 को एक राष्ट्रव्यापी "गो इलेक्ट्रिक" अभियान शुरू किया है। इस अभियान के निम्नलिखित घटक हैं:

1. अभियान के उद्देश्य:

- क. केंद्रीय और राज्य की पहलों जैसी नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना।
- ख. आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) आधारित वाहनों के मुकाबले चार्जिंग इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की चार्जिंग अवसंरचना उपयोगिता और लाभों के संबंध में हितधारकों/जनता में जागरूकता पैदा करना और विश्वास सृजित करना।
- ग. हितधारकों के बीच सूचना/ज्ञान के आदान-प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना।
- घ. डिस्कॉमों/राज्य नोडल एजेंसियों की क्षमता निर्माण करना।

2. **अभियान के घटक:** अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू), ईवी लाभ, सरकारी पहल, चार्जिंग अवसंरचना, मिथ बस्टर्स:

क. मीडिया अभियान: ऑडियो और वीडियो

ख. रचनात्मक और प्रिंट अभियान: ब्रोशर, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू), प्रिंट आउट, आउटडोर होर्डिंग्स इत्यादि।

ग. सोशल मीडिया अभियान।

घ. आउटडोर अभियान: रोड शो और कार्यशालाएं/ वेबिनार

(ग) : बीईई के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्तमान में गुजरात राज्य में 195 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन प्रचालनरत हैं।

गुजरात राज्य में प्रचालनरत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के जिलेवार ब्यौरे **अनुबंध-क** पर दिए गए हैं।

(घ) : फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुयुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन इंडिया-II (फेम-II) स्कीम के अंतर्गत, भारी उद्योग मंत्रालय ने गुजरात राज्य में 278 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों को संस्वीकृत किया है।

गुजरात राज्य में फेम-II स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित ईवी चार्जिंग स्टेशनों के ब्यौरे **अनुबंध-ख** पर दिए गए हैं।

(ङ) : चार्जिंग स्टेशन डिस्कॉमों से कनेक्शन लेते हैं जो बदले में ग्रिड से विद्युत की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। ग्रिड को विद्युत की आपूर्ति परंपरागत और नवीकरणीय दोनों स्रोतों से की जाती है।

(च) : विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 14.01.2022 (दिनांक 07.11.2022 को संशोधित) को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए चार्जिंग अवसंरचना हेतु संशोधित समेकित दिशानिर्देश और मानक जारी किए। इन दिशानिर्देश में प्रावधान किए गए हैं कि:

(i) पब्लिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस) के लिए विद्युत की आपूर्ति हेतु टैरिफ सिंगल पार्ट टैरिफ होगा और यह दिनांक 31 मार्च, 2025 तक "आपूर्ति की औसत लागत" से अधिक नहीं होगा।

(ii) इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की चार्जिंग एक सेवा है और चूंकि विद्युत रियायती दरों पर प्रदान की जा रही है और इस तथ्य पर विचार करते हुए भी कि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की संस्थापना के लिए कई मामलों में केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है, राज्य सरकार को ऐसे पीसीएस/फास्ट चार्जिंग स्टेशनों (एफसीएस) द्वारा चार्ज किए जाने वाले सेवा प्रभारों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3826 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गुजरात राज्य में प्रचालनरत सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रचालनरत पीसीएस की संख्या
1.	अहमदाबाद	49
2.	आनंद	1
3.	अरावली	1
4.	बनासकांठा	4
5.	भरुच	3
6.	भावनगर	4
7.	गांधीनगर	6
8.	जामनगर	4
9.	जूनागढ़	6
10.	कच्छ	10
11.	खेड़ा	3
12.	मेहसाणा	5
13.	नर्मदा	4
14.	नवसारी	1
15.	पंचमहल	1
16.	पाटन	3
17.	राजकोट	10
18.	साबरकांठा	3
19.	सिद्धपुर	1
20.	सोनारपाड़ा	1
21.	सूरत	47
22.	सुरेंद्र नगर	6
23.	वडोदरा	16
24.	वलसाड	5
25.	वापी	1
कुल पीसीएस		195

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3826 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

फेम-II स्कीम के अंतर्गत गुजरात राज्य में प्रस्तावित ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (पीसीएस)

क्र.सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	संस्वीकृत पीसीएस की संख्या	राज्य कुल
1.	गुजरात	अहमदाबाद	181	278
		सूरत	50	
		वडोदरा	37	
		गांधीनगर	10	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3835

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

विद्युत की खपत

3835. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सहित कई राज्यों में विद्युत की अनुमानित खपत विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्तमान वर्ष के दौरान अधिक रहेगी;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केंद्र सरकार द्वारा खपत की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने की संभावना है;
- (ग) क्या सरकार ने राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों पर बढ़ती देयता के कारणों के संबंध में कोई अध्ययन किया है; और
- (घ) यदि हां, तो राजस्थान राज्य के अजमेर, जोधपुर और जयपुर विद्युत वितरण कंपनी के संबंध में देयताओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : वर्ष 2023-24 अर्थात वर्ष 2022-23 तक देश में ऊर्जा आवश्यकता की औसत वृद्धि 4.9% अनुमानित की गई है। वर्ष 2022-23 के दौरान वास्तविक ऊर्जा आवश्यकता के संदर्भ में वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान के लिए ऊर्जा आवश्यकता की अनुमानित वृद्धि 5% है।

अप्रैल, 2023 और मई, 2023 माह को उच्च मांग अवधि के रूप में दर्शाया गया है। वर्तमान वर्ष 2023-24 के दौरान, इस ग्रीष्म अवधि के दौरान व्यस्ततम मांग लगभग 229 गीगावॉट होने की अपेक्षा है। विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) उत्पादन क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए गए हैं। उत्पादकों को निर्देश दिया गया है कि वे उच्च मांग की अवधि से पहले अपने संयंत्रों के रखरखाव का कार्य पूरा कर लें। उच्च मांग अवधि (यथा अप्रैल और मई, 2023) के दौरान कोई योजनाबद्ध रखरखाव नहीं किया जाएगा।

- (ii) कोयला और रेलवे मंत्रालयों के साथ, जितना संभव हो सके, कोयले के उत्पादन और प्रेषण में वृद्धि के लिए, नियमित आधार पर, निगरानी और समन्वय करना।
- (iii) सभी उत्पादकों को सम्मिश्रण के उद्देश्य से अपेक्षित कोयले का समय पर आयात करने के लिए कहा गया है ताकि संयंत्र में पर्याप्त कोयला स्टॉक बनाए रखा जा सके।
- (iv) घरेलू कोयला कंपनियों (सीआईएल और एससीसीएल) से कोयले की आपूर्ति के अनुपूरण के लिए सभी कैप्टिव कोयला ब्लॉकों को अधिकतम कोयला उत्पादन करने के लिए कहा गया है।
- (v) उच्च विद्युत की मांग वाले महीनों के दौरान, गैस आधारित स्टेशनों को चलाने के लिए गेल से गैस की अतिरिक्त व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है।
- (vi) आयातित कोयला आधारित) आईसीबी (संयंत्रों को उच्च मांग अवधि के दौरान कोयले के स्टॉक और विद्युत उत्पादन के लिए सांविधिक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) : अक्टूबर, 2022 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) लिमिटेड द्वारा प्रकाशित वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के लिए 'राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के कार्य-निष्पादन पर रिपोर्ट' में उपलब्ध सूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंत से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक की वितरण यूटिलिटीयों के लिए भुगतानयोग्य राशियों के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दिए गए हैं। राजस्थान राज्य के अजमेर, जोधपुर और जयपुर डिस्कॉमों से संबंधित देयताओं के ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं। डिस्कॉम पर देयता बढ़ाने के कुछ कारण हैं- उच्च एटीएंडसी हानियां (जो तकनीकी अदक्षताओं, चोरी और अन्य कारकों के कारण होती हैं, जिसके कारण डिस्कॉमों में महत्वपूर्ण हानियां भी हो सकती हैं), सब्सिडियां (भारत में कई राज्य विद्युत टैरिफ पर सब्सिडी प्रदान करते हैं, जिससे, यदि समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो डिस्कॉमों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव पड़ सकता है) तथा अव्यवहार्य टैरिफ (विद्युत के लिए डिस्कॉमों द्वारा प्रभारित टैरिफ कभी-कभी इसकी आपूर्ति की लागत से कम होते हैं, जिससे हानियां होती हैं)।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3835 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में यूटिलिटियों पर भुगतानयोग्य राशियों का ब्यौरा

राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े	31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2021 तक की स्थिति के अनुसार
विद्युत के क्रय के लिए देयराशियां (करोड़ रुपये)	2,28,552	2,56,060	2,73,030
विद्युत के क्रय के लिए भुगतानयोग्य राशियां (दिन)	148	164	176

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3835 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

दिनांक 17.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार, आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली डिस्कॉमों की देयराशियों की स्थिति

सभी आंकड़े करोड़ रुपये में

क्रम सं.	राज्य	डिस्कॉम	दिनांक 17.03.2023 की स्थिति के अनुसार सभी आपूर्तिकर्ताओं की पुरानी देयराशियों और ईएमआई में परिवर्तित (जैसा कि डिस्कॉम द्वारा सूचित किया गया है)	दिनांक 17.03.2023 को सभी सीपीएसयू (जेनको) की पुरानी देयराशियों और ईएमआईयों में परिवर्तित (जैसा कि डिस्कॉम द्वारा सूचित किया गया है)	दिनांक 17.03.2023 को सभी आपूर्तिकर्ताओं का अतिदेय (प्राप्त पोर्टल के अनुसार)	दिनांक 17.03.2023 को सभी सीपीएसयू (जेनकोज) का अतिदेय (प्राप्त पोर्टल के अनुसार)
1	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2,046	-	340	29
2	राजस्थान	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	4,892	-	782	24
3	राजस्थान	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	4,575	-	853	35
4	राजस्थान	राजस्थान डिस्कॉम विद्युत क्रय केंद्र	-	-	0	-

*आपूर्तिकर्ता का अर्थ जेनकोस, ट्रांसको और ट्रेडर है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3849

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

विद्युत की खपत और मांग

3849. डॉ. पोन गौतम सिगामणि:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि इस वर्ष फरवरी में भारत की विद्युत खपत में वर्ष-दर-वर्ष नौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है जोकि 117.84 बिलियन यूनिट रही है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि तापमान में वृद्धि के कारण मार्च में बिजली की खपत और मांग में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की जाएगी और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि कई राज्य विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : फरवरी, 2023 और फरवरी, 2022 माह तथा अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 और अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 की अवधि के लिए ऊर्जा आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा का तुलनात्मक विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

फरवरी, 2022 की तुलना में फरवरी, 2023 में ऊर्जा आपूर्ति/खपत में वृद्धि 8% है, जबकि अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 की अवधि की तुलना में अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 की अवधि के लिए ऊर्जा आपूर्ति/खपत में वृद्धि 10.4% है।

(ख) : मार्च, 2023 माह में व्यस्ततम मांग 212 गीगावॉट होने का अनुमान लगाया गया है जबकि मार्च, 2023 माह में अब तक केवल 209 गीगावॉट की सूचना दी गई है। अप्रैल, 2023 और मई, 2023 के महीनों को उच्च मांग अवधि के रूप में दर्शाया गया है। वर्तमान वर्ष 2023-24 के दौरान, इस ग्रीष्म अवधि के दौरान व्यस्ततम मांग लगभग 229 गीगावॉट होने की अपेक्षा है। विद्युत की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) उत्पादन क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए गए हैं। उत्पादकों को निर्देश दिया जाता है कि वे उच्च मांग की अवधि से पहले अपने संयंत्रों के रखरखाव का कार्य पूरा कर लें। उच्च मांग अवधि (यथा अप्रैल और मई, 2023) के दौरान कोई योजनाबद्ध रखरखाव नहीं किया जाएगा।

- (ii) कोयला और रेलवे मंत्रालयों के साथ, जितना संभव हो सके, कोयले के उत्पादन और प्रेषण में वृद्धि के लिए, नियमित आधार पर, निगरानी और समन्वय करना।
- (iii) सभी उत्पादकों को सम्मिश्रण के उद्देश्य से अपेक्षित कोयले का समय पर आयात करने के लिए कहा गया है ताकि संयंत्र में पर्याप्त कोयला स्टॉक बनाए रखा जा सके।
- (iv) घरेलू कोयला कंपनियों (सीआईएल और एससीसीएल) से कोयले की आपूर्ति के अनुपूरण के लिए सभी कैप्टिव कोयला ब्लॉकों को अधिकतम कोयला उत्पादन करने के लिए कहा गया है।
- (v) उच्च विद्युत की मांग वाले महीनों के दौरान, गैस आधारित स्टेशनों को चलाने के लिए गैस से गैस की अतिरिक्त व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है।
- (vi) आयातित कोयला आधारित (आईसीबी) संयंत्रों को उच्च मांग अवधि के दौरान कोयले के स्टॉक और विद्युत उत्पादन के लिए सांविधिक दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(ग) और (घ) : वर्ष 2021-22 और वर्तमान वर्ष 2022-23 (फरवरी, 2023 तक) के लिए राज्य-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति **अनुबंध-II** में दी गई है। ऊर्जा आवश्यकता और ऊर्जा आपूर्ति के बीच सीमांत अंतर सामान्यतः वितरण नेटवर्क में बाधाओं, वित्तीय बाधाओं, वाणिज्यिक कारणों आदि जैसे कारकों के कारण होता है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3849 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

फरवरी, 2023 तथा फरवरी, 2022 माह तथा अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 एवं अप्रैल, 2021 से फरवरी, 2022 की अवधि हेतु ऊर्जा आवश्यकता तथा आपूर्ति की गई ऊर्जा की तुलना

(आंकड़े एमयू नेट में)

फरवरी, 2023		फरवरी, 2022		% बदलाव	
ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा
117,209	116,697	108,362	108,032	8.2	8.0
अप्रैल, 2022 - फरवरी, 2023		अप्रैल, 2021 - फरवरी, 2022		% बदलाव	
ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा
1,382,920	1,375,571	1,250,625	1,245,546	10.6	10.4

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3849 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2021-22 एवं वर्तमान वर्ष 2022-23 (फरवरी, 2023 तक) की राज्यवार विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	अप्रैल, 2022 - फरवरी, 2023				अप्रैल, 2021 - मार्च 2022			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,687	1,687	0	0.0	1,606	1,606	0	0.0
दिल्ली	33,012	33,002	10	0.0	31,128	31,122	6	0.0
हरियाणा	57,564	57,061	503	0.9	55,499	55,209	290	0.5
हिमाचल प्रदेश	11,601	11,497	104	0.9	12,115	12,088	27	0.2
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र	17,914	17,604	309	1.7	19,957	18,434	1,524	7.6
पंजाब	65,282	64,996	286	0.4	62,846	62,411	436	0.7
राजस्थान	94,270	92,557	1,712	1.8	89,814	89,310	504	0.6
उत्तर प्रदेश	1,34,645	1,33,449	1,196	0.9	1,29,448	1,28,310	1,138	0.9
उत्तराखंड	14,496	14,247	249	1.7	15,521	15,426	94	0.6
उत्तरी क्षेत्र	4,31,544	4,27,175	4,369	1.0	4,17,934	4,13,915	4,019	1.0
छत्तीसगढ़	35,450	35,381	69	0.2	31,908	31,872	35	0.1
गुजरात	1,26,657	1,26,613	44	0.0	1,23,953	1,23,666	287	0.2
मध्य प्रदेश	84,434	84,105	329	0.4	86,501	86,455	46	0.1
महाराष्ट्र	1,69,433	1,69,322	111	0.1	1,72,823	1,72,809	14	0.0
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	9,169	9,169	0	0.0	9,433	9,433	0	0.0
गोवा	4,279	4,279	0	0.0	4,448	4,448	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	4,33,746	4,33,192	553	0.1	4,29,065	4,28,683	383	0.1
आंध्र प्रदेश	65,604	65,194	410	0.6	68,413	68,219	194	0.3
तेलंगाना	68,609	68,576	34	0.0	70,539	70,523	16	0.0
कर्नाटक	67,159	67,133	26	0.0	72,437	72,417	20	0.0
केरल	25,028	25,007	21	0.1	26,579	26,570	9	0.0
तमिलनाडु	1,03,794	1,03,718	77	0.1	1,09,816	1,09,798	18	0.0
पुदुचेरी	2,806	2,805	1	0.0	2,894	2,893	1	0.0
लक्षद्वीप#	58	58	0	0.0	56	56	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	3,33,043	3,32,476	567	0.2	3,50,678	3,50,421	258	0.1
बिहार	36,635	35,873	762	2.1	36,216	35,761	455	1.3
डीवसी	23,858	23,850	8	0.0	23,741	23,736	4	0.0
झारखंड	12,006	11,099	907	7.6	11,148	10,590	558	5.0
ओडिशा	39,074	39,028	46	0.1	38,339	38,332	7	0.0
पश्चिम बंगाल	55,133	55,066	67	0.1	54,001	53,945	57	0.1
सिक्किम	539	539	0	0.0	610	609	0	0.0
अंडमान-निकोबार द्वीप समूह#	318	318	0	0.0	335	327	8	2.3
पूर्वी क्षेत्र	1,67,298	1,65,508	1,789	1.1	1,64,054	1,62,973	1,081	0.7
अरुणाचल प्रदेश	823	803	20	2.4	875	874	1	0.1
असम	10,619	10,612	7	0.1	10,844	10,825	19	0.2
मणिपुर	926	925	1	0.1	1,019	1,018	1	0.1
मेघालय	2,050	2,050	0	0.0	2,256	2,243	13	0.6
मिजोरम	592	592	0	0.0	656	644	12	1.8
नागालैंड	844	802	41	4.9	852	851	1	0.1
त्रिपुरा*	1,428	1,428	0	0.0	1,578	1,578	0	0.0
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	17,289	17,220	70	0.4	18,079	18,033	47	0.3
अखिल भारत	13,82,920	13,75,571	7,349	0.5	13,79,812	13,74,024	5,787	0.4

लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह स्टैंड-अलोन प्रणालियां हैं, इनमें से विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का हिस्सा नहीं है।

* बांग्लादेश को आपूर्ति शामिल नहीं है।

टिप्पणी: विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट को राज्य यूटीलिटियों/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर संकलित किया गया है। एमयू के आंकड़ों को निकटतम इकाई स्थान पर राउंड ऑफ किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3866

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

जलविद्युत परियोजना

3866. श्री सी. लालरोसांगा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दक्षिण मिजोरम में कोलोडाइन नदी पर जलविद्युत परियोजना का निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित परियोजना के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसकी प्रगति क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : मिजोरम राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, केंद्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष 2008 में 460 मेगावाट की कोलोडाइन जल-विद्युत परियोजना (एचईपी) के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई तथा इसे दिनांक 14/09/2011 को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहमति दी गई। इस परियोजना के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा मैसर्स नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) के साथ दिनांक 22 दिसंबर, 2008 को समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। लेकिन परियोजना को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य पाया गया क्योंकि वर्ष 2010 के मूल्य स्तर पर स्तरीकृत टैरिफ 11 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित किया गया था और मिजोरम सरकार तथा एनटीपीसी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को दिनांक 1 जून, 2020 को निरस्त कर दिया गया था।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3869

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

सौभाग्य योजना

3869. श्री भागीरथ चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) किस तिथि से सौभाग्य योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत देश में विद्युतीकरण शुरू हुआ है और इसके अंतर्गत चयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उक्त योजना के तहत लाभार्थियों के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) उक्त योजना की शुरुआत से दिसंबर, 2022 तक देश भर में लाभान्वित होने वाले पात्र व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है; और
- (ङ) उक्त योजना के तहत राजस्थान में 2019 से 2022 तक बिजली कनेक्शन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या और इसके तहत जारी की गई राशि तथा राजसहायता का जिले-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार द्वारा कृषि और गैर-कृषि फीडरों के पृथक्करण, उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना के सुदृढीकरण तथा संवर्धन, वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, देश भर के गांवों के विद्युतीकरण, ग्रामीण घरों को विद्युत तक पहुँच तथा बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने सहित वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का शुभारंभ किया गया था।

तदोपरान्त, भारत सरकार ने देश में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को विद्युत के कनेक्शन प्रदान करते हुए सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य का शुभारंभ किया।

सौभाग्य के अंतर्गत, सभी गैर-विद्युतीकृत गरीब घरों को, निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए थे, जबकि जो गरीब नहीं हैं, ऐसे ग्रामीण घरों के लिए, डिस्कॉमों/विद्युत विभागों द्वारा लाभार्थी से उनके आगामी विद्युत के बिलों में दस समान किश्तों में 500 रुपये की राशि वसूल की जानी थी।

(घ) : डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 और सितंबर, 2017 तक विद्युतीकृत बीपीएल घरों के ब्यौरे **अनुबंध-I** पर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत दिनांक 31.03.2022 तक संस्वीकृत अतिरिक्त घरों को शामिल करते हुए, अक्टूबर, 2017 में सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों के ब्यौरे **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

(ङ) : राजस्थान राज्य में वित्तीय वर्ष 2019 से 2022 तक डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत स्वीकृत (वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान) 52,206 अतिरिक्त घरों सहित सौभाग्य के अंतर्गत कुल 2,64,992 घरों का विद्युतीकरण किया गया था।

राजस्थान को वित्तीय वर्ष 2019 से 2022 तक सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई (आरई और अतिरिक्त इन्फ्रा सहित) के अंतर्गत क्रमशः 202 करोड़ रुपये और 797 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3869 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015 से सितंबर, 2017 तक विद्युतीकृत कुल बीपीएल घरों की राज्यवार उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल विद्युतीकृत बीपीएल घर
1	आंध्र प्रदेश	664851
2	असम	101537
3	बिहार	1976832
4	छत्तीसगढ़	63756
5	गुजरात	813
6	जम्मू और कश्मीर	1133
7	झारखंड	12391
8	कर्नाटक	98821
9	केरल	24993
10	मध्य प्रदेश	561262
11	महाराष्ट्र	59
12	मेघालय	95
13	मिजोरम	447
14	नागालैंड	507
15	ओडिशा	103857
16	राजस्थान	149854
17	सिक्किम	1850
18	तमिल नाडु	1976
19	तेलंगाना	849
20	त्रिपुरा	41759
21	उत्तर प्रदेश	1082986
22	उत्तराखंड	46
23	पश्चिम बंगाल	34450
	कुल	4925124

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3869 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण/डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त स्वीकृतियां और उपलब्धियां (दिनांक 31.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	सौभाग्य के अंतर्गत संस्वीकृत मूल घर	सौभाग्य के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर		डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घर		कुल जोड़
		दिनांक 11.10.2017 से दिनांक 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 31.03.2021 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 31.03.2021 तक कुल विद्युतीकृत घरों की संख्या	अतिरिक्त संस्वीकृत घर	दिनांक 31.03.2022 तक अतिरिक्त विद्युतीकृत घर	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=5+7
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930	0	1,81,930			1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089	0	47,089	7859	0	47,089
3	असम	17,45,149	2,00,000	19,45,149	480249	381507	23,26,656
4	बिहार	32,59,041	0	32,59,041			32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,49,397	40,394	7,89,791	21981	2577	7,92,368
6	गुजरात*	41,317	0	41,317			41,317
7	हरियाणा	54,681	0	54,681			54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891	0	12,891			12,891
9	जम्मू और कश्मीर	3,77,045	0	3,77,045			3,77,045
10	झारखंड	15,30,708	2,00,000	17,30,708			17,30,708
11	कर्नाटक	3,56,974	26,824	3,83,798			3,83,798
12	लद्दाख	10,456	0	10,456			10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264	0	19,84,264	99722	0	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922	0	15,17,922			15,17,922
15	मणिपुर	1,02,748	5,367	1,08,115	21135	0	1,08,115
16	मेघालय	1,99,839	0	1,99,839	420	401	2,00,240
17	मिजोरम	27,970	0	27,970			27,970
18	नागालैंड	1,32,507	0	1,32,507	7009	7009	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444	0	24,52,444			24,52,444
20	पुदुचेरी*	912	0	912			912
21	पंजाब	3,477	0	3,477			3,477
22	राजस्थान (जयपुर)	18,62,736	2,12,786	20,75,522	210843	52206	21,27,728
23	सिक्किम	14,900	0	14,900			14,900
24	तमिल नाडु*	2,170	0	2,170			2,170
25	तेलंगाना	5,15,084	0	5,15,084			5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090	0	1,39,090			1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	79,80,568	12,00,003	91,80,571	334652	0	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751	0	2,48,751			2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290	0	7,32,290			7,32,290
कुल		2,62,84,350	18,85,374	2,81,69,724	11,83,870	4,43,700	2,86,13,424

*सौभाग्य से पूर्व विद्युतीकृत और सौभाग्य के अंतर्गत वित्तपोषित नहीं हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3887

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

विद्युत और लोड शेडिंग संबंधी समस्याएं

3887. श्री चिराग कुमार पासवान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्र सरकार ने बिहार में विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई और यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप क्या है क्योंकि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र अभी भी विद्युत की कमी और लोड शेडिंग की समस्याओं का सामना कर रहे हैं;
- (ख) क्या विद्युत की कमी को दूर करने के लिए कोई व्यापक सौर ऊर्जा अथवा पवन ऊर्जा आधारित परियोजना बनाई गई है और यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है;
- (ग) क्या केंद्र सरकार राज्य के गरीब लोगों के लिए विद्युत को और अधिक वहनीय बनाने के लिए इसकी लागत को कम करने के लिए किसी योजना पर विचार कर रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और तत्पश्चात , सौभाग्य- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत, बिहार सहित सभी राज्यों ने क्रमशः दिनांक 28 अप्रैल, 2018 को सभी जनगणनाकृत गांवों और दिनांक 31 मार्च, 2022 को सभी इच्छुक घरों के विद्युतीकरण की घोषणा की थी। जबकि, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत कुल 18374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था, डीडीयूजीजेवाई (नई) के अंतर्गत अतिरिक्त घरों सहित सौभाग्य के तत्वावधान में कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया।

भारत सरकार ने देश में वित्तीय रूप से स्थायी और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरुआत की। इस स्कीम का परिव्यय 3,03,758 करोड़ रुपए है और भारत सरकार से अनुमानित सकल बजटीय सहायता 97,631 करोड़ रुपए है। इस स्कीम की अवधि 5 वर्ष (वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक) है।

इस स्कीम के अंतर्गत, एबीसी केबल/यूजी केबल/एचवीडीएस आदि का उपयोग करके हानि और चोरी को कम करने के उपायों सहित वितरण अवसंरचना के उन्नयन, 25 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए स्काडा, संचारयोग्य प्रणालीगत मीटरिंग और स्मार्ट प्री-पेड मीटरिंग सहित प्रणाली आधुनिकीकरण आदि के लिए पात्र डिस्कॉमों अर्थात् सभी डिस्कॉमों/विद्युत विभागों (निजी क्षेत्र के डिस्कॉमों को छोड़कर) को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

आरडीएसएस के अंतर्गत, बिहार राज्य के लिए 2021.22 करोड़ रुपए की स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाएं और 7081.05 करोड़ रुपये के हानि न्यूनीकरण कार्य पहले ही संस्वीकृत किए जा चुके हैं।

वर्तमान वर्ष अर्थात् 2022-23 (अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 तक की अवधि) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में बिहार की विद्युत आपूर्ति की स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप है। जबकि ऊर्जा की आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच का अंतर सामान्यतः, देश में विद्युत की उपलब्धता की अपर्याप्तता के अलावा उदाहरणार्थ वितरण नेटवर्क में बाधाएं, वित्त बाधाएं, वाणिज्यिक कारण, उत्पादन इकाइयों की कटौतियाँ आदि के कारण होता है।

(ख) : सरकार ने हरित ऊर्जा से विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए कई सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आधारित स्कीमें तैयार की हैं। भारत सरकार द्वारा उक्त कथित क्षेत्र में की गई प्रगति इस प्रकार है:

राष्ट्रीय सौर मिशन - सरकार ने इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2022 तक 100 गीगा वाट सौर ऊर्जा (60 गीगावाट यूटिलिटी स्केल और 40 गीगावाट रूफटॉप) प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2010 में की थी। फरवरी, 2023 तक, भारत की कुल यूटिलिटी स्केल संस्थापित सौर क्षमता लगभग 64.4 गीगावाट है। बिहार में सौर ऊर्जा क्षमता अभिवृद्धि 192.88 मेगावाट है।

पवन ऊर्जा मिशन - सरकार ने इस मिशन की शुरुआत 2022 तक 60 गीगावाट पवन ऊर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में की थी। फरवरी, 2023 तक, भारत की कुल संस्थापित पवन क्षमता लगभग 42 गीगा वाट है।

वर्ष 2029-30 के अंत तक देश की गैर-जीवाश्म ईंधन की संभावित संस्थापित क्षमता लगभग 500 गीगावाट होगी।

(ग) और (घ) : केंद्र सरकार कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन में दक्षता को बढ़ावा दे रही है। साथ ही, आरई परियोजनाओं से उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे सस्ती दरों पर विद्युत का उत्पादन सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त, वितरण नेटवर्क में पूंजी व्यय के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिया गया अनुदान उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की लागत को भी नियंत्रण में रखता है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3887 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्तमान वर्ष अर्थात वर्ष 2022-23 (अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 तक की अवधि) के दौरान ऊर्जा के संदर्भ में बिहार की विद्युत आपूर्ति की स्थिति

वर्ष	ऊर्जा (एमयू)			
	ऊर्जा की आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
वर्ष 2022-23 (फरवरी, 2023 तक)*	36,635	35,873	762	2.1

(* अनंतिम

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3888

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों का विद्युतीकरण

3888. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर के आदिवासी बहुल जिलों सहित मध्य प्रदेश राज्य में फीडर पृथक्करण से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या उन जिलों में फीडर पृथक्करण कार्य पूरा होने की संभावना है जिनमें उक्त कार्य निष्पादित नहीं किया गया है;
- (घ) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का कार्य पूरा करने का विचार है;
- (ङ) क्या विद्युतीकरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) बहुल गांवों को प्राथमिकता देने का कोई प्रावधान है;
- (च) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उक्त कार्य करवाने का विचार है; और
- (छ) क्या मध्य प्रदेश के रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों में 'मजरे', 'पारे', और 'टोले' जैसे कई बसावटों में तीन चरण का विद्युतीकरण नहीं किया गया है जबकि उक्त क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल है और यदि हां, तो इन क्षेत्रों में तीन चरण के विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : झाबुआ, रतलाम और अलीराजपुर के आदिवासी बहुल जिलों सहित मध्य प्रदेश राज्य में फीडर पृथक्करण के कार्य पूर्ण हो गए हैं। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत किए गए कार्यों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	जिले का नाम	फीडर पृथक्करण 11 केवी (सीकेएम)
1	अलीराजपुर	66.13
2	झाबुआ	100.11
3	रतलाम	60.41

(ड) से (छ) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बीपीएल परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए थे।

तदोपरांत, भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के आर्थिक रूप से गरीब घरों के शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करके, सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में, प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना - सौभाग्य की भी शुरुआत की थी। सौभाग्य के शुभारंभ के बाद से और दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया था। इसके बाद, कुछ राज्यों ने 11,83,870 अतिरिक्त घरों, जो विद्युतीकरण के लिए पूर्व में अनिच्छुक थे, लेकिन अब इच्छुक हैं, के संबंध में पुनः सूचना दी थी। इनकी भी संस्वीकृति दी गई थी। इसके निमित्त, दिनांक 15.03.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 4,40,893 घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। तदनुसार, सौभाग्य के शुभारंभ के बाद कुल 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है। ये दोनों स्कीमें दिनांक 31.03.2022 को समाप्त हो गई हैं।

जैसा कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, मध्य प्रदेश के क्रमशः रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल मजरा, पाराओं और टोलों का विद्युतीकरण मानदंडों के अनुसार कर दिया गया है।

नए घरों का निर्माण करना एक सतत प्रक्रिया है और ऐसे घरों के विद्युतीकरण का ध्यान वितरण यूटिलिटीयों द्वारा रखा जाना है। भारत सरकार सौभाग्य से पूर्व अभिचिन्हित सभी घरों के विद्युतीकरण के लिए राज्यों की सहायता हेतु प्रतिबद्ध है। इस संबंध में, भारत सरकार ने हाल ही में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत उनके विद्युतीकरण हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं और इस संबंध में राज्यों को अपनी डीपीआर विद्युत मंत्रालय को भेजने की सलाह दी गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3894

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

विद्युत की मांग और उत्पादन

3894. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत की मांग और उत्पादन के बीच बड़ा अंतर है जो केरल में और अधिक बढ़ गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या 50 रुपये प्रति यूनिट विद्युत प्रभार केरल जैसे राज्यों के लिए एक बड़ा खतरा है और जो व्यस्ततम अवधि के दौरान अन्य राज्यों के विद्युत संयंत्रों से बिजली पर निर्भर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या विद्युत क्षेत्र के निजीकरण से ऊर्जा संकट उत्पन्न होता है और विद्युत की अधिक लागत केरल जैसे राज्य में आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ डालेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार विद्युत क्षेत्र के निजीकरण के निर्णय और बिजली में प्रति यूनिट लागत में और अधिक वृद्धि, जो 50 रुपये प्रति यूनिट तक है, को संशोधित करेगी और इसे वापस लेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : पिछले वर्ष अर्थात् 2021-22 तथा वर्तमान वर्ष अर्थात् 2022-23 (अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 की अवधि) के दौरान ऊर्जा और व्यस्ततम स्तर की दृष्टि से केरल की विद्युत आपूर्ति की स्थिति अनुबंध में दी गई है। आपूर्ति की गई विद्युत ऊर्जा आवश्यकता के अनुरूप है। जबकि ऊर्जा की आवश्यकता और आपूर्ति की गई ऊर्जा के बीच का अंतर सामान्यतः, देश में विद्युत की उपलब्धता की अपर्याप्तता के अलावा उदाहरणार्थ वितरण नेटवर्क में बाधाएं, वित्त बाधाएं, वाणिज्यिक कारण, उत्पादन इकाइयों की कटौतियों आदि के कारण होता है।

(ख) : राज्य अपनी विद्युत की मांग को अपने स्वयं के उत्पादन स्टेशनों, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से प्राप्त हिस्सों, निजी उत्पादन स्टेशनों और विद्युत एक्सचेंजों से खरीद से पूरा करते हैं। सामान्यतः, विद्युत एक्सचेंज

में बेची गई विद्युत देश में उत्पादित विद्युत का लगभग 4-5% होता है। पिछले वर्ष, विद्युत मंत्रालय ने इस तथ्य का संज्ञान लेने के बाद कि पिछले कुछ दिनों में विद्युत एक्सचेंज में कीमतें 20 रुपये प्रति यूनिट तक पहुँच गई थीं, सीईआरसी को यह निर्देश दिए कि वे एक्सचेंज की अधिकतम मूल्य-सीमा तय करें, ताकि कोई मुनाफाखोरी न कर सके। सीईआरसी द्वारा दिनांक 01.04.2022 से डे अहेड मार्केट एवं रियल टाइम मार्केट में और इसके बाद दिनांक 06.05.2022 से सभी खंडों में 12 रुपये प्रति यूनिट की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी।

इसके अतिरिक्त, मार्च, 2023 में हाई प्राइस डे अहेड मार्केट (एचपी-डीएएम) नामक विद्युत बाजार का एक नया खंड शुरू किया गया है, जहां बैटरी-ऊर्जा भंडारण प्रणाली में संग्रहित गैस आधारित संयंत्रों, आयातित कोयला आधारित संयंत्रों और नवीकरणीय ऊर्जा से महंगी विद्युत बेची जा सकती थी। एचपी-डीएएम बाजार में, सीईआरसी द्वारा 50 रुपये प्रति यूनिट की एक तकनीकी अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इसकी भी समीक्षा की जा रही है। यह ध्यान दिया जाए कि वर्ष 2022 के दौरान डीएएम में औसत बाजार निकासी मूल्य 5.77 रुपये प्रति यूनिट था जबकि अधिकतम सीमा 10 रुपये प्रति यूनिट थी। एचपी-डीएएम में संव्यवहार अभी होना बाकी है।

(ग) : बाजारों में विद्युत की कीमत सामान्यतः प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्राप्त होती है। मांग आपूर्ति शेष वह प्रमुख कारक है जो बाजार से प्राप्त हुए मूल्य को सीधे प्रभावित करता है।

(घ) : एच-डीएएम मार्केट सेगमेंट में भाग लेने के लिए 50 रुपये/यूनिट वह तकनीकी अधिकतम सीमा है जो उन उत्पादन प्रणालियों के लिए बनाई गई है जहां विद्युत उत्पादन की लागत 12 रुपये/यूनिट (गैस/आयातित कोयला/आरई प्लस भंडारण आदि) को पार कर सकती है। इस अधिकतम सीमा की भी समीक्षा की जा रही है। तथापि, प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियां केरल सहित सभी राज्यों द्वारा बेहतर पोर्टफोलियो प्रबंधन सहित उचित दरें सुनिश्चित करेंगी।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3894 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले वर्ष अर्थात् 2021-22 तथा वर्तमान वर्ष अर्थात् 2022-23 (अप्रैल, 2022 से फरवरी, 2023 की अवधि तक) के दौरान ऊर्जा और व्यस्ततम स्तर की दृष्टि से केरल की विद्युत आपूर्ति की स्थिति

वर्ष	ऊर्जा (एमयू)				व्यस्ततम (एमडबल्यू)			
	अपेक्षित ऊर्जा	ऊर्जा आपूर्ति	आपूर्ति नहीं की गयी ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम पूर्ति	पूर्ति नहीं की गयी मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमडबल्यू)	(एमडबल्यू)	(एमडबल्यू)	(%)
2021-22	26,579	26,570	9	0.0	4,374	4,364	10	0.2
2022-23 (फरवरी, 2023 तक) *	25,028	25,007	21	0.1	4,699	4,370	329	7.0

(*) अंतिम

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3898

जिसका उत्तर 23 मार्च, 2023 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाएं

3898. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश के विभिन्न भागों में अनेक विद्युत परियोजनाएं अपने निर्धारित प्रारंभिक समय से पीछे चल रही हैं;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश के विभिन्न भागों में निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं का महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) इन परियोजनाओं पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है और इन परियोजनाओं के लंबित होने के क्या कारण हैं; और
- (घ) महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : दिनांक 28.02.2023 तक की स्थिति के अनुसार, कुल 17803.5 मेगावाट की 41 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) हैं जो देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (महाराष्ट्र सहित) में कार्यान्वयनाधीन हैं। समय आधिक्य और कुल व्यय की गई राशि सहित इन परियोजनाओं की राज्य-वार सूची **अनुबंध-I** पर दी गई है।

दिनांक 28.02.2023 तक की स्थिति के अनुसार, देश में 18 ताप विद्युत परियोजनाएं सक्रिय रूप से निर्माणाधीन हैं। समय आधिक्य और दिनांक 28.02.2023 तक कुल व्यय की गई राशि सहित ब्यौरे **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

जल-विद्युत और ताप-विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

- संविदात्मक मुद्दे
- रेलवे लाइन/रेलवे साइडिंग्स की तैयारी में कमी

- उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा आपूर्ति में विलंब
- भूमि अधिग्रहण में विलंब
- स्थानीय मुद्दों के कारण कार्य में बाधा
- मुकदमेबाजी
- डिजाइन में बदलाव के कारण विलंब
- जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में भू-गर्भीय विस्मय

(घ) : विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) स्थल दौरों और विकासकर्ताओं एवं अन्य हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। सीईए परियोजनाओं को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए विकासकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें करता है।
- (ii) अंतर-मंत्रालयी और अन्य बकाया मुद्दों के तेजी से समाधान करने तथा बाधा क्षेत्रों की पहचान करने हेतु विद्युत मंत्रालय (एमओपी) में नियमित समीक्षा भी की जाती है।
- (iii) केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) की परियोजनाओं के मामले में, परियोजना कार्यान्वयन मापदंडों/लक्ष्यों को संबंधित सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन में शामिल किया जाता है और एमओपी/सीईए में आयोजित सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा (क्यूपीआर) बैठकों और अन्य बैठकों के दौरान इसकी निगरानी की जाती है।
- (iv) मुद्दों को तीव्रतापूर्वक हल करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों को राज्य सरकार/जिला प्रशासन के साथ उठाया जा रहा है।

अनुबंध-1

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3898 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

विकासाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) के समय-आधिक्य के ब्यौरे - राज्य-वार (दिनांक 28.02.2023 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना का नाम/(संस्थापित क्षमता)/कार्यकारी एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने का मूल समय	शुरू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (मूल्य स्तर)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	आंध्र प्रदेश							
1	पोलावरम (12x80 = 960 मेगावाट) एपजैको/सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	2016-17 2016-17 2016-17 2016-17 2016-17 2016-17 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 2025-26	96	5338.95 (2016-17 पीएल) (विद्युत घटक)	737.52
2	पिन्नापुरम (4x240+2x120 मेगावाट) मैसर्स ग्रीनको	1 2 3 4 5 6	240 240 240 240 120 120	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (मार्च'25)	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (मार्च'25)	शून्य	6465.22 (फरवरी' 2021 पीएल)	4780.26
	अरुणाचल प्रदेश							
3	सुबनसिरी लोअर	1	250	2009-11	2023-24		19992.43	17627.04

क्र.सं.	परियोजना का नाम/(संस्थापित क्षमता)/कार्यकारी एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने का मूल समय	शुरू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (मूल्य स्तर)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(8x250 = 2000 मेगावाट) एनएचपीसी	2 3 4 5 6 7 8	250 250 250 250 250 250 250	2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11 2009-11	2023-24 2023-24 2023-24 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25	165	(01/20)	
4	दिबांग बह-उद्देश्यीय परियोजना (12x240 = 2880 मेगावाट) एनएचपीसी	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240	2031-32 2031-32 2031-32 2031-32 2031-32 2031-32 2031-32 2031-32 2031-32 2031-32 2031-32 2031-32	2031-32 2031-32 2031-32 2031-32 2031-32 2031-32 2031-32 2031-32 2031-32 2031-32 2031-32 2031-32	शून्य	31876.39 (05/21)	2091.30
	असम							
5	लोअर कोपिली (2x55+2x2.5+1x5 =120 मेगावाट)	1 2 3 4 5	55 55 5 2.5 2.5	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25	9	1795 (2021)	759.44
	हिमाचल प्रदेश							
6	पारबती-II (4x200 = 800 मेगावाट) एनएचपीसी	1 2 3 4	200 200 200 200	2009-10 2009-10 2009-10 2009-10	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24	174	11134.54 (07/22)	10452.38

क्र.सं.	परियोजना का नाम/(संस्थापित क्षमता)/कार्यकारी एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने का मूल समय	शुरू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (मूल्य स्तर)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(सितम्बर'09)	(मार्च, 24)			
7	उहल-III (3x33.33 = 100 मेगावाट) बीवीपीसीएल	1 2 3	33.33 33.33 33.33	2006-07 2006-07 2006-07 (मार्च'07)	2024-25 2024-25 2024-25 (दिसंबर, 24)	213	2400 (2022)	2391.66
8	शौगटम करचम (3x150 = 450 मेगावाट) एचपीपीसीएल	1 2 3	150 150 150	2016-17 2016-17 2016-17 (मार्च'17)	2026-27 2026-27 2026-27 (नवंबर, 26)	115	2807.83 (07/11)	1665.90
9*	टंगनु रोमई-1 (2x22 = 44 मेगावाट) टीआरपीजीपीएल	1 2	22 22	2014-15 2014-15 (जून, 14)	2027-28 2027-28 (कार्यों के पुनः आरंभ होने के अध्यधीन (4 वर्ष))	165	641.89 (2018)	329.36
10	टिडोंग-1 2x50 =100 मेगावाट एनएसएल टिडोंग (दिनांक 04.09.2018 से स्टेटक्राफ्ट इंडिया प्रा. लि. ने परियोजना में 100% इक्विटी अधिग्रहीत कर ली है)	1 2 3	50 50 50	2021-22 2021-22 (अक्टूबर, 21) नया विकासकर्ता	2023-24 2023-24 (दिसंबर, 23)	26	1850.00 (06/2018)	1421.2
11	कुटेहर 3x80=240 मेगावाट जेएसडब्ल्यू एनर्जी (कुटेहर) लि.	1 2 3	80 80 80	2024-25 2024-25 2024-25 (नवंबर'24)	2025-26 2025-26 2025-26 (नवंबर'25)	12	2879 (03/2019)	1510.68
12	लुहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना स्टे-1 (2X80+2X25 मेगावाट=210 मेगावाट)	1 2 3 4	80 80 25 25	2025-26 2025-26 2025-26 (जनवरी'26)	2025-26 2025-26 2025-26 (जनवरी'26)	शून्य	1810.56 (05/20)	1029.15
13	धौलासिद्ध (एसजेवीएन) 2x33=66 मेगावाट हमीरपुर/कांगड़ा	1 2	33 33	2025-26 2025-26 (नवंबर'25)	2025-26 2025-26 (नवंबर'25)	शून्य	687.97 (05/2020)	358.90
14	सुन्नी डैम (एसजेवीएन)	1	73	2027-28	2027-28	शून्य	2614.51	310.65

क्र.सं.	परियोजना का नाम/(संस्थापित क्षमता)/कार्यकारी एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने का मूल समय	शुरू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (मूल्य स्तर)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4x73+1x73+1x17 = 382 मेगावाट	2 3 4 5	73 73 73 73 17	2027-28 2027-28 2027-28 2027-28 2027-28 (मार्च, 28)	2027-28 2027-28 2027-28 2027-28 2027-28 (मार्च, 28)		(मार्च, 21)	
15	चंजू-III (3x16 = 48 मेगावाट) एचपीपीसीएल	1 2 3	16 16 16	2027-28 2027-28 2027-28 (जून, 27)	2027-28 2027-28 2027-28 (जून, 27)	शून्य	418.57 (01/15)	43.71
	जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार							
16	पकल दुल (4x250= 1000 मेगावाट) सीवीपीपीएल	1 2 3 4	250 250 250 250	2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 (अप्रैल'20)	2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 (जुलाई'25)	63	8112.12 (03/13)	2845.12
17	परनई 3x12.5= 37.5 मेगावाट जेकेएसपीडीसी	1 2 3	12.5 12.5 12.5	2017-18 2017-18 2017-18 (जनवरी'18)	2023-24 2023-24 2023-24 (जून, 24)	77	640.86 (पूरा करने की लागत)	315.92
18*	लोअर कलनई 2x24 = 48 मेगावाट जेकेएसपीडीसी	1 2	24 24	2017-18 2017-18 (सितंबर, 17)	2026-27 2026-27 (कार्यों के पुनः आरंभ होने के अध्यधीन (4 वर्ष))	114	576.87 (12/12) पूरा करने की लागत)	87.94
19	किरू (4x156=624 मेगावाट) सीवीपीपीएल	1 2 3 4	156 156 156 156	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (अगस्त,23)	2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 (जुलाई, 25)	23	4287.59 (07/18)	963.70
20	रतले (4x205+1x30) = 850 मेगावाट	1 2	205 205	2025-26 2025-26	2025-26 2025-26	3	5281.94 (11/18)	210.68

क्र.सं.	परियोजना का नाम/(संस्थापित क्षमता)/कार्यकारी एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने का मूल समय	शुरू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (मूल्य स्तर)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	आरएचपीपीएल/ एनएचपीसी	3	205	2025-26	2025-26			
		4	205	2025-26	2025-26			
		5	30	2025-26 (फरवरी, 26)	2025-26 (मई, 26)			
21	क्वार (4x135=540 मेगावाट) सीवीपीपीएल	1	135	2026-27	2026-27	शून्य	4526.12 (सितम्बर '20)	311.65
		2	135	2026-27	2026-27			
		3	135	2026-27	2026-27			
		4	135	2026-27 (नवंबर 2026)	2026-27 (नवंबर 2026)			
	केरल							
22	पल्लीवसल 2x30 = 60 मेगावाट केएसईवी	1	30	2010-11	2023-24	147	550.00 (2018)	485.54
		2	30	2010-11 (मार्च '11)	2023-24 (जून, 23)			
23	थोटियार (1x30+1x10)= 40 मेगावाट केएसईवी	1	30	2012-13	2023-24	134	280 (2018)	143.14
		2	10	2012-13 (अप्रैल '12)	2023-24 (जून, 23)			
24	मंकुलम (2x20) = 40 मेगावाट केएसईवी	1	20	2026-27	2026-27	शून्य	600 (08/22)	65
		2	20	2026-27 (मई, 26)	2026-27 (मई, 26)			
	मध्य प्रदेश							
25*	महेश्वर (10x40 = 400 मेगावाट) एसएमएचपीसीएल	1	40	2001-02	2027-28	312	6793 (2016-17)	5443
		2	40	2001-02	(कार्यों के पुनः आरंभ होने के अध्यधीन (दो वर्ष)			
		3	40	2001-02				
		4	40	2001-02				
		5	40	2001-02				
		6	40	2001-02				
		7	40	2001-02				
		8	40	2001-02				
		9	40	2001-02				
		10	40	2001-02 मार्च, 02)				

क्र.सं.	परियोजना का नाम/(संस्थापित क्षमता)/कार्यकारी एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने का मूल समय	शुरू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (मूल्य स्तर)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	महाराष्ट्र							
26*	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40 = 80 मेगावाट डब्ल्यूआरडी, महा.	1 2	40 40	2014-15 2014-15 (अक्टूबर, 14)	2027-28 (कार्यों के पुनः आरंभ होने के अध्यधीन (दो वर्ष)	161	379.78 (2014)	165.39
	पंजाब							
27	शाहपुरकंडी 3x33+3x33+1x8 =206 मेगावाट, सिंचाई विभाग और पीएसपीसीएल	1 2 3 4 5 6 7	33 33 33 33 33 33 8	2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 (मार्च, 16)	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (अगस्त, 24)	101	2368.55 (02/2018) (विद्युत घटक)	2109.67
	सिक्किम							
28	तीस्ता स्टेज-VI (4x125 = 500 मेगावाट) लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लि. (एलटीएचपीएल) (यह परियोजना दिनांक 08.03.2019 को टेक ओवर की गई)	1 2 3 4	125 125 125 125	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (मार्च, 24)	2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 (जुलाई, 25)	16	5748.04 (07/2018)	2160.32
29*	भास्मे (2x25.5 = 51 मेगावाट) गति इंफ्रास्ट्रक्चर	1 2	25.5 25.5	2012-13 2012-13 (जून, 12)	2027-28 2027-28 (कार्यों के पुनः आरंभ होने के अध्यधीन (3 वर्ष)	189	746.01 (03/18)	353
30	रंगित-IV एचई परियोजना (3X40 = 120 मेगावाट) एनएचपीसी	1 2 3	40 40 40	2023-24 2023-24 2023-24 (मार्च, 24)	2024-25 2024-25 2024-25 (अगस्त 24)	5	938.29 (10/19)	461.41
31*	रंगित-II 2x33 = 66 मेगावाट सिक्किम हाइड्रो पावर लि.	1 2	33 33	2015-16 2015-16 (अप्रैल, 15)	2027-28 2027-28 (कार्यों के पुनः आरंभ	155	496.44 (2011-12)	126.83

क्र.सं.	परियोजना का नाम/(संस्थापित क्षमता)/कार्यकारी एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने का मूल समय	शुरू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (मूल्य स्तर)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					होने के अध्यक्षीन (2½ वर्ष)			
32*	पनन 4x75 = 300 मेगावाट हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	1 2 3 4	75 75 75 75	2018-19 2018-19 2018-19 2018-19	2028-29 2028-29 2028-29 2028-29 (कार्यों के पुनः आरंभ होने के अध्यक्षीन (4½ वर्ष)	120	2675.00 (2020)	156
	तमिलनाडु							
33	कुंडहा पीएसपी (फेज-I, फेज-II व फेज-III) (4x125=500 मेगावाट) टेनजेडको	1 2 3 4	125 125 125 125	2021-22 2021-22 2021-22 2021-22 (अगस्त,21)	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (दिसंबर,24)	40	3401 (2014)	1004.23
	उत्तराखंड							
34*	लता तपोवन (3x57= 171 मेगावाट) एनटीपीसी	1 2 3	57 57 57	2017-18 2017-18 2017-18 (अगस्त, 17)	2028-29 2028-29 2028-29 (कार्यों के पुनः आरंभ होने के अध्यक्षीन (4 वर्ष)	139	1527.00 (07/12)	149.93
35	तपोवन विष्णुगाढ़ (4x130 = 520 मेगावाट) एनटीपीसी	1 2 3 4	130 130 130 130	2012-13 2012-13 2012-13 2012-13 (मार्च'13)	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (दिसंबर'24)	141	7700 (09/22)	5722.77
36	टिहरी पीएसएस (4x250 = 1000 मेगावाट) टीएचडीसी	1 2 3 4	250 250 250 250	2015-16 2015-16 2015-16 2015-16 (फरवरी, 16)	2022-23 2023-24 2023-24 2023-24 (दिसंबर'23)	94	6439.60 (10/22)	5203.32

क्र.सं.	परियोजना का नाम/(संस्थापित क्षमता)/कार्यकारी एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	शुरू होने का मूल समय	शुरू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	नवीनतम/अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) (मूल्य स्तर)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	नैटवर मोरी (2x30 = 60 मेगावाट) एसजेवीएनएल	1 2	30 30	2021-22 2021-22 (दिसम्बर'21)	2023-24 2023-24 (मई-23)	17	1272.29	1190.26
38	विष्णुगाड पीपलकोटि (4x111 = 444 मेगावाट) टीएचडीसी	1 2 3 4	111 111 111 111	2013-14 2013-14 2013-14 2013-14 (जून, 13)	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (मार्च'25)	141	3860.35 (02/19)	2912.40
39	लखवर बह-उददेशीय परियोजना (3x100 = 300 मेगावाट) यूजेवीएनएल	1 2 3	100 100 100	2028-29 2028-29 2028-29 (नवंबर, 28)	2028-29 2028-29 2028-29 (नवंबर, 28)	शून्य	1074.16-विद्युत घटक (07/18)	
40*	फाटा ब्युंग (2x38 = 76 मेगावाट), लैंको	1 2	38 38	2012-13 2012-13 (जून, 12)	2025-26 2025-26 (कार्यों के पुनः आरंभ होने के अध्यधीन (3 वर्ष))	165	1132 (09/16)	1263
पश्चिम बंगाल								
41	रम्माम-III (3x40= 120 मेगावाट)	1 2 3	40 40 40	2019-20 2019-20 2019-20 (सितम्बर'19)	2026-27 2026-27 2026-27 (सितंबर, 26))	84	1381.84 (09/14)	851.78

*निर्माण रुका हुआ है।

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 23.03.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3898 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं के समय आधिक्य के ब्यौरे

दिनांक 28.02.2023 तक की स्थिति के अनुसार

क्र.सं.	परियोजना का नाम/विकासकर्ता	राज्य	यूनिट	क्षमता (मेगावाट)	ट्रायल रन की मूल तिथि	ट्रायल रन की अनुमानित तिथि	समय आधिक्य	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	किया गया कुल व्यय (करोड़ रुपये में)
1	डॉ. नरला टाटा राव टीपीएस स्टे-V (एपीजेनको)	आंध्र प्रदेश	यू-1	800	अप्रैल-19	जून-23	4 वर्ष, 1 माह	7586.67	7533.14
2	बाढ़ एसटीपीपी-I (एनटीपीसी)	बिहार	यू-2	660	दिसंबर-10	मार्च-23	12 वर्ष, 3 माह	21312.11	20675.7
			यू-3	660	अक्टूबर-11	जून-24	12 वर्ष, 8 माह		
3	बक्सर टीपीपी (एसजेवीएन)	बिहार	यू-1	660	मई-23	दिसंबर-23	0 वर्ष, 6 माह	10439.09	7197.06
			यू-2	660	सितंबर-23	मार्च-24	0 वर्ष, 5 माह		
4	नॉर्थ करनपुरा एसटीपीपी (एनटीपीसी)	झारखंड	यू-2	660	दिसंबर-18	नवंबर-23	4 वर्ष, 11 माह	15389.42	14084
			यू-3	660	जून-19	जून-24	5 वर्ष, 0 माह		
5	पतरातु एसटीपीपी (पीवीयूएनएल)	झारखंड	यू-1	800	जनवरी-22	जुलाई-24	2 वर्ष, 6 माह	18668	10316.95
			यू-2	800	जुलाई-22	दिसंबर-24	2 वर्ष, 5 माह		
			यू-3	800	जनवरी-23	मार्च-25	2 वर्ष, 2 माह		
6	भुसावल टीपीएस (महाजेंको)	महाराष्ट्र	यू-6	660	मई-22	जुलाई-23	1 वर्ष, 1 माह	4550.97	4017.46
7	तालचर टीपीपी, स्टे-III (एनटीपीसी)	ओडिशा	यू-1	660	नवंबर-26	नवंबर-26	0 वर्ष, 0 माह	11843.75	321.27
			यू-2	660	मई-27	मई-27	0 वर्ष, 0 माह		
8	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे-I (एनटीपीसी)	तेलंगाना	यू-1	800	मई-20	मार्च-23	2 वर्ष, 10 माह	10997.7	10076.8
			यू-2	800	नवंबर-20	जून-23	2 वर्ष, 7 माह		
9	एन्नोर एसटीपीपी (टेनजेडको)	तमिलनाडु	यू-1	660	नवंबर-17	जुलाई-24	6 वर्ष, 7 माह	9800	5982.12
			यू-2	660	जनवरी-18	सितंबर-24	6 वर्ष, 7 माह		
10	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे-III (टेनजेडको)	तमिलनाडु	यू-1	800	अप्रैल-19	सितंबर-23	4 वर्ष, 4 माह	8722.86	7700.67
11	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I (टेनजेडको)	तमिलनाडु	यू-1	660	जनवरी-21	मार्च-24	3 वर्ष, 2 माह	13076.705	7494.635
			यू-2	660	मार्च-21	जून-24	3 वर्ष, 3 माह		
12	यदाद्री टीपीएस (टीएसजेनको)	तेलंगाना	यू-1	800	अक्टूबर-21	दिसंबर-23	2 वर्ष, 2 माह	29965.48	20046.17
			यू-2	800	अक्टूबर-21	दिसंबर-23	2 वर्ष, 2 माह		
			यू-3	800	जून-22	सितंबर-24	2 वर्ष, 3 माह		
			यू-4	800	जून-22	अगस्त-24	2 वर्ष, 2 माह		
			यू-5	800	अक्टूबर-22	नवंबर-24	2 वर्ष, 1 माह		
13	घाटमपुर टीपीपी (एनयूपीपीएल)	उत्तर प्रदेश	यू-1	660	मई-20	जुलाई-23	3 वर्ष, 1 माह	17237.8	14730.45
			यू-2	660	नवंबर-20	अक्टूबर-23	2 वर्ष, 10 माह		
			यू-3	660	मई-21	दिसंबर-23	2 वर्ष, 6 माह		
14	खुर्जा एससीटीपीपी (टीएचडीसी)	उत्तर प्रदेश	यू-1	660	जुलाई-23	फरवरी-24	0 वर्ष, 7 माह	11089.42	6413.56
			यू-2	660	जनवरी-24	अगस्त-24	0 वर्ष, 7 माह		
15	जवाहरपुर एसटीपीपी (यूपीआरवीयूएनएल)	उत्तर प्रदेश	यू-1	660	दिसंबर-20	जून-23	2 वर्ष, 5 माह	10566.27	9838.12
			यू-2	660	अप्रैल-21	दिसंबर-23	2 वर्ष, 7 माह		
16	ओवरा-सी एसटीपीपी (यूपीआरवीयूएनएल)	उत्तर प्रदेश	यू-1	660	दिसंबर-20	जून-23	2 वर्ष, 5 माह	10416	8358.09
			यू-2	660	अप्रैल-21	जनवरी-24	2 वर्ष, 8 माह		
17	पंकी टीपीएस एक्सटेंशन (यूपीआरवीयूएनएल)	उत्तर प्रदेश	यू-1	660	सितंबर-21	जनवरी-24	2 वर्ष, 3 माह	5816.7	4563.57
18	सागरदिघी ताप विद्युत परियोजना फेज-III (डब्ल्यूबीपीडीसीएल)	पश्चिम बंगाल	यू-1	660	जनवरी-24	सितंबर-24	0 वर्ष, 8 माह	4567.316	1233.66
